Title: Discussion on the Demand for Grants No. 79 to 86 under the control of Ministry of Rural Development. (Cut Motions were moved and negatived and Demands were voted in full).

17.24 hrs.

GENERAL BUDGET- 2005-2006 – DEMANDS FOR GRANTS

Ministry of Rural Development

MR. SPEAKER: The House will now take up Item No. 16 - Discussion and voting on Demand Nos. 79 to 81 relating to the Ministry of Rural Development.

Hon. Members present in the House whose cut motions to the Demands for Grants have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move. Only those cut motions will be treated as moved.

...(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदयः इनका क्या नाम है? What is his name? Please do not compel me to take any unpleasant action.

...(*Interruptions*)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी को लालू जी से इस्तीफा मांगना चाहिए। â€¦ (व्यवधान) हम सदन से वाकआउट कर रहे हैं।

17.25 hrs.

(At this stage, Prof. Vijay Kumar Malhotra and some other hon. Members left the House).

â€¦. (Interruptions)

MR. SPEAKER: Do not think that I am indulging in empty threats. I am not giving empty threats. I think the Members should learn the lesson. The country warns us.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Two days back in Indore, a freedom fighter has told me that tears come to his eyes when he sees this type of behaviour on the television. Do we not feel ashamed? Senior Members are behaving like this. You are not even interested in discussing the financial, budgetary provisions in this country.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Shri Ramdas Athawale, you are crossing the limit. You have crossed the limit. Do you feel that I am indulging in *tamasha*? So long as I am here I will see that you behave properly.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter. In case any Member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the officer at the Table immediately.

Motion moved:

> "That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2006, in respect of the heads of demands entered in the first column thereof, against Demand Nos. 79 to 81. "

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: SHRI ANNASAHEB M.K. PATIL to speak.

...(*Interruptions*)

SHRI ANNASAHEB M.K. PATIL (ERANDOL): Sir, I want to speak. ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Is it your seat? Now, go to your seat. You go to your seat and speak.

...(*Interruptions*)

17.28 hrs.

(At this stage, Shri Annasaheb M.K. Patil left the House.)

SHRI NIKHILANANDA SAR (BURDWAN):Mr. Speaker Sir, while taking part in the discussion on the Demands for Grants under the Ministry of Rural Development, I have no hesitation in expressing dissatisfaction over the meagre amount provided for rural development. ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Silence please. There should be order in the House.

...(*Interruptions*)

SHRI NIKHILANANDA SAR : We should first realise as to what are the basic functions of this Ministry. The main functions can be expressed in a nutshell. The main functions of this Ministry are to reduce poverty in rural areas and to improve the quality of life there. To fulfil these two-fold objectives, the Ministry mainly consists of three Departments besides autonomous bodies for development of voluntary action such as CAPART, NIRD and NRRDA.

The net budget provision is only Rs. 18, 353.87 crore.

During the Tenth Plan, the outlay agreed to is more than Rs. 56,000 crore against the proposed outlay of Rs. 1,29,464.27 crore which indicates that the allocation is less than half of what was proposed to the Planning Commission. For the remaining two years of the Tenth Plan, only an amount of Rs. 15,283.48 crore is there. That is the cause of my dis-satisfaction.

Following the hon. President's call in his Address to both Houses of Parliament about *Bharat Nirman,* our hon. Minister of Finance placed the Budget in this House. In his Budget speech, he spoke of many big plans which will continue up to 2009. The first is to connect all habitations with all-weather roads. That is the first commitment. Secondly, he wants to construct sixty lakh additional houses for poor people. Thirdly, he said to re-excavate one lakh water bodies for irrigation of huge areas of land. May I ask one thing? Is it possible to achieve this target with so meagre allotment? I demand for more allocation to fulfil the commitment of the Government.

We know that India lives in villages. Two out of every three Indians live in rural areas. It is well-known that about 75 per cent of the rural people are attached with land in one way or the other − they are either farmers or sharecroppers or agricultural labourers. In most of the States no land reform has taken place. Huge areas of land has been concentrated in a fewer hands. Poor farmers do not get remunerative price of their produce. The unemployment is increasing every day. The villages have become private moneylenders' paradise. This is the position of rural India, of the rural poor. So, the rural poor are forced to migrate to cities or to commit suicide. That is prevalent now throughout India. We have to think about rural development in this backdrop. Only drinking water or sanitation programmes or rural road connectivity cannot change the lot of the poor, rural people. If this could solve the problem, then the farmers would not have committed suicide. That is the position not only in backward States but even in advanced States like Kerala, Karnataka and even in Punjab.

17.34 hrs. (Shri Devendra Prasad Yadav *in the Chair*)

Road connectivity is no doubt a good programme. But only metal roads cannot serve the purpose. First you have to arrange food security of the poor people. That should be given proper improvement. Will the village people enjoy metal roads with empty stomachs? That is the real question. Rural development means development of the people in economic sectors and that should be given priority.

If the purchasing power of the poor people, poor villagers is not increased, what will happen to the industrial goods produced? Who will purchase the industrial goods?

Only exports cannot help India. The whole country's development will be hindered. In that respect, we should take lesson from some States and especially from West Bengal where millions of acres of land has been distributed among the poor, cheap credit is provided and minor irrigation programme is encouraged. Due to that reason, West Bengal became a surplus State in food production from a deficit State. That is the real development. In 1977, when the Left came into power, the percentage of people living below the poverty line was 68 per cent, but at present, it is only 25 per cent. Due to these development programmes, the change has taken place a lot in West Bengal.

Many people think why Left Front rule in West Bengal has continued decade after decade. The real reason is that the Government's programme with the help of rural people's representative body, the panchayats - vibrant panchayats and living panchayats - actually made it possible. In West Bengal, 4.5 crore rural people now purchase annually industrial goods worth Rs. 17,000 crore. That should not be minimised. The whole country should take a lesson from it. The Members from the Opposition Benches will not accept it, but I will urge upon the main Ruling Party at the Centre, which is controlling more than a dozen States in India, that they should take the lesson and start in that way so that they will be able to root out, in future, the Governments in the States which have been dominated by the Opposition Parties. So, in that way, rural development should be taken up in this pretext.

Now, what is going on in those States? What happened in Rajasthan a few months back? People wanted canal water to save their standing crops and police fired on them. That incident took place. In Madhya Pradesh, within a year, firing over the farmers took place 22 times. Even the poorest of the poor, the tribal people, which number merely 80 million in India, are being deprived in many ways. In Madhya Pradesh, Tendu leaves would have been collected by the tribal people, but that right has been taken away and now contractors have been appointed by the BJP Government in Madhya Pradesh. The tribal people have no right to collect minor forest products. That is the position. The tribal people who have lived generation after generation either inside the forest or outside have now been threatened to be evicted from the forest land in this way.

In some other cases, I want to request the hon. Minister to think regarding safe drinking water. It is essential for survival. Everyone should admit it. But I am sorry to say that the Rural Development Ministry has no correct picture of how many habitations have no water source.

There is no correct figure for it, and after going through these figures alone it is being stated that safe drinking water is to be supplied in every village. The picture is unknown to the department itself with regard to the number of habitations that are there without any source of drinking water. There is no correct picture about it.

Secondly, the ground-water table is going down. If we cannot re-excavate water bodies; if we cannot start recharging more ground-water; cannot do more rain-water harvesting, etc. in a big way and in coordination with other departments of the Government, then we will be in big trouble in the near future. The Government should take steps in this area at the preliminary stage itself. Nearly half of the dams, barrages that were constructed 30 years or 40 years back have been silted up. No new investment is required, and no new dams are required in it. The de-siltation process for the old dams and barrages, which have been silted up, should be started in a big way so that we can preserve huge amount of water. It will provide us with more irrigation possibilities. At the same time, it will also serve as flood protection during floods.

MR. CHAIRMAN : Please conclude your speech.

SHRI NIKHILANANDA SAR : In a way, India depends on the flow of monsoon. There is one scheme in the department called the Desert Development Programme (DDP) in which deserts are being converted into greens, and utmost attempt is being made in it. The experts opine that if the deserts are to be made green, then deserts will become green. They state that there is no doubt about it, but the entire country will turn into a desert. So, the opinion of the experts should be regarded in this case, and the department should think over this issue.

MR. CHAIRMAN: Please conclude your speech.

SHRI NIKHILANANDA SAR : Yes, Sir. The rainfall has already started becoming irregular, and the monsoon is not flowing in a regular manner. Irregular flow of monsoon -- either drought or flood -- is occurring every year in some or the other parts of our country. Hence, taking up this scheme will be a suicidal policy, that is, if DDP is followed in this manner. The scheme should be changed, and the name of the scheme should be Desert Restriction Programme (DRP), so that the deserts are not extended any further. We should be concerned about this issue. I feel that the DDP is a suicidal policy.

In this department 10 per cent allocation is made for the North-Eastern States, and 10 per cent is kept aside for the Watershed Development Programme. Is it a farce? The highest rainfall of the country takes place in the North-East. There is no doubt about it, but still 10 per cent allocation is made there for it. This type of rigid policy should be changed. The respective State Governments, according to the specific needs in those areas, should be given charge for their development. I suggest that more afforestation should be started in the North-Eastern States. I feel that it will help improve the complete climate of our country.

Thirdly, I want to know about the Employment Guarantee Bill. It provides 100-days' work for one jobless person from a poor family. What happened to that Bill? I am given to understand that it is with one of the Standing Committees. When will it come in the House? I think, the hon. Minister should take the initiative in this case.

Otherwise, it will come in the House after four years' time when the elections become due. That type of a thing should not happen in UPA Government's tenure. It has been stated that at the rate of 15 lakh houses per year, 60 lakh additional housing units would be constructed, which is next to impossible.

Regarding Panchayati Raj, we cannot expect much from it. It is a recently born baby and it has not even completed one year. This Department consists of only 25 people including the Minister and the Secretary and, therefore, we cannot expect much from it. The real task of this Department is to train people and to make sure of the involvement of people in village development. Training programmes are very nominal -- only ten per cent of the people have been trained so far. Therefore, I not only want this Department but also the entire Government to come forward and make concerted efforts to fulfil the objectives.

With these words, I thank you, Mr. Chairman.

CUT MOTIONS

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANI) : Sir, I beg to move :-

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT (PAGE 79) BE REDUCED TO RE.1

Failure to build major bridge on river Hati in Kalanpur block of Kalahandi district from KBK Funds already sanctioned. (13)

Failure to launch afforestation programmes under the National food for Work Programme in the State of Orissa. (14)

Failure to re-forest the villages under various programmes to ease fire wood problem in the rural areas. (15)

Failure to effectively implement the various programmes for the development in Orissa. (16)

Failure to implement the Pradhan Manri Gram Sadak Yojana in the country particularly in the State of Orissa. (17)

Failure to create awareness about the water-shed programmes and to achieve the targets. (18)

Failure to strengthen the autonomy in the District Rural evelopment Authority. (19)

Anita

CUT MOTION (20 −40) TO BE PASTED.

	उत्तरांचल के अल्मो्ड़ा जिले में रिंची-थपला पे्यजल ्योजना को तत्काल अनुमोदन दिए जाने की आ्व्श्यकता । (41)	
	उत्तरांचल के अल्मो्ड़ा जिले में दान्या-धौलाद्वी लिफ्ट पे्यजल ्योजना को तत्काल अनुमोदन दिए जाने की आ्व्श्यकता । (42)	

	उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में भाउनरवाल- काठ की नाव पेयजल योजना को अनुमति दिए जाने की आवश्यकता । (43)	
	उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में गगस-चमराखान लिफ्ट पेयजल योजना को अनुमोदन प्रदान किए जाने की आवश्यकता । (44)	
	उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में जलना-लमगाड़ा फाटक लिफ्ट पेयजल योजना को अनुमोदन प्रदान किए जाने की आवश्यकता । (45)	
	उत्तरांचल के पिथौरागढ़ जिले में गंगोलीहाट के लिए लिफ्ट पेयजल योजना के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किए जाने की आवश्यकता । (46)	
	उत्तरांचल के पिथौरागढ़ जिले के लिए प्रस्तावित सभी पेयजल योजनाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने की आवश्यकता । (47)	
	उत्तरांचल के पिथौरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों में र्वा जल कृा के लिए व्यापक योजना को अनुमोदन प्रदान किए जाने की आवश्यकता । (48)	
	उत्तरांचल के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्येक आबादी क्षेत्र के लिए एक हैंडपम्प की मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता ।(49)	
	उत्तरांचल के निम्न जल क्षेत्रों में पेयजल मुहैया कराने के लिए व्शिे योजना बनाए जाने की आवश्यकता । (50)	
	उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में गगस-चिलियानौला लिफ्ट पेयजल योजना को अनुमोदन प्रदान किए जाने की आवश्यकता । (51)	

SHRI L. RAJAGOPAL (VIJAYAWADA): Sir, I take this opportunity to present my views on rural development and the need to fulfil the requirements of the people in the rural areas.

A reasonable person always adapts himself to living in this world, whereas an unreasonable person wants the world to be adapted to his kind of living. That is why, we always see that it is an unreasonable person's views that matter, and a lot of development is based on his policies and views. In the same way, I want to be very unreasonable in putting forward my demands for rural development. At the same time, I also want our hon. Minister, Dr. Raghuvansh Prasad Singh, to be unreasonable in demanding more Grants for the rural areas. The reason why we need more Demands for Grants and more funds for rural development is that we have seen majority of the population the world over lives in urban areas -- 80 per cent of the population live in urban areas -- but in India, it is the other way where more than 65 per cent of the population live in rural areas. A lot of people have this misconception that development means urbanisation; development means migration of people from rural areas to urban areas. Yes, we need to follow the developed nations in trying to build and create the best of infrastructural facilities, but at the same time, we need to understand what went wrong in the developed nations. One thing is certain that if we can provide the best of facilities in the rural areas, we can stop the migration. We have to ensure that people living in the rural areas have better employment opportunities, better living conditions and better earnings. That is the reason why I want our Minister and our Government to focus more on rural development.

If you look at the previous Government's budget allocations that were made during the last year of their rule, you will find that Rs. 10,000 crore was sanctioned for rural development, whereas this UPA Government, which is pro-poor and pro-downtrodden, has allotted more than Rs. 24,500 crore for rural development -- a remarkable increase of more than 150 per cent when compared to the allocation made by the previous Government. However, we have to remember that if we look at the real needs and requirements of the rural areas, this is not enough. That is why, the saying goes, "*jaisi drishti, vaisi srishti*", which means, "as is our vision, so is our creation". We need to look at how we can improve the living conditions of the people in the rural areas.

First and foremost, drinking water is the most essential thing in the rural areas. In our Budget, we have allotted Rs. 4,700 crore for drinking water and sanitation, out of which, Rs. 3,600 crore is for drinking water alone.

I have seen many villages in Andhra Pradesh. I have traveled across 11 Districts on foot along with the present Chief Minister, covering more than 1,500 kilometres. That was before the elections. After elections, I did a *Pada Yatra* of more than a thousand kilometres in my Constituency. I have traveled the entire length and breadth of my Constituency covering all the villages. If you look at the condition there, especially of drinking water, you will be surprised. My District is located next to the perennial river Krishna. Even there, a pot of water is selling for Rs.5. Womenfolk have to travel miles to get potable water.

My estimate says that in my Parliamentary Constituency Vijayawada, we need at least Rs.200 crore to fulfil the

needs of each and every household. If you adopt the same yardstick for the entire country, I think we need one lakh crore rupees in five years. That means, we need Rs.20,000 crore this year and the Budget allotted is only Rs.3,600 crore for drinking water even though it is a substantial increase when compared to the earlier Government. Yes, we have increased it by more than 150 per cent. Still, it might take 20 to 30 years before we can really solve the problem of availability of safe drinking water for the entire village population of this country.

Coming to sanitation, allocation is Rs.630 crore. However, with so many households, more than a crore households, need independent sanitation. So, we need to allot more budget for sanitation.

The next most important thing is housing. In the Budget, we increased the allocation. We wanted to construct 15 lakh houses. We have allotted a Budget of Rs.2,450 crore for housing. Andhra Pradesh alone has allotted 40 lakh houses in five years. That means, Andhra Pradesh Government is building eight lakh houses per year. The Government of India has plans to build 60 lakh houses in four years on all-India basis. I think there is a need to increase number of houses to be built.

At the same time, if you look at roads, we have PMGSY. Not a single rupee has been released in the last year for PMGSY. I am not sure why. This year we have allocated more than Rs.3,810 crore for PMGSY in order to improve the lot of the rural roads. That means, each Parliamentary Constituency might get around Rs.6 crore to Rs.7 crore. But, it is not only link roads that need to be established, we also need to look at how we can improve the internal roads and internal lanes. My estimate says that each Parliamentary Constituency requires not less than Rs.50 crore per year, if we have to really improve the standard of living of people in the rural areas. It is a huge requirement. So, we need to look at how to meet all these demands. We need to look at ways of finding resources either through LIC or GIC or multilateral agencies. We should get loans and try to allocate them for rural development.

Earlier, more than 200 Members of Parliament made a request to the Minister about housing. In the States, it is the MLAs who look at who the beneficiaries are and identify the beneficiaries and recommend them to the Government. When it comes to IAY, where we are talking about 15 lakh houses, it is the District Collector who takes the responsibility and tries to identify the beneficiary and allocates the houses. But we need to remember here that Members of Parliament are - day in and day out, night and day, it does not matter to them whether it is sunshine or night − always among the people. They are always mixing with the people trying to understand their problems. Today, Members of Parliament understand the basic needs of the people better and are able to identify who the really needy people are. We have already made a request to the hon. Minister that IAY houses should be given to the Members of Parliament to identify and recommend the beneficiaries within the norms. We are not asking for any violation of the norms. But, within the norms, Members of Parliament should be given the responsibility of identifying the beneficiaries and recommending their names to the Government.

At the same time, self-employment is the most important thing. There are thousands and lakhs of unemployed and educated youth seeking employment. Allocation made for self-employment schemes is only Rs.862 crores. There is a need to increase this allocation because Rs.862 crores means Rs.1.5 crore for each parliamentary constituency. If we give Rs.50,000 to each family, only 300 youth would be benefiting in each parliamentary constituency, which means not even a single person from each village would be benefiting from this scheme. So, there is a need to increase the allocation at least by ten-fold, that is, Rs.8,000 crore is required for self-employed scheme for rural youth.

Then comes restoration of water bodies. We have more than a million water bodies which need to be restored. Restoration of water bodies not only provides employment but also provides water to lakhs of acres thereby bringing in millions of hectares of land under cultivation. We need to ensure as to how we can fund those restoration of water bodies. The budget does not provide enough. We need to look at ways and means to find resources.

We are also talking of *Bharat Nirman* - rural connectivity. More than 66,000 habitation to be connected by roads; more than 1,25,000 villages to be electrified; and more than two and a half crore families to be provided with electricity connection. We also spoke about more than one crore hectares of land to be brought under cultivation thereby providing employment to more than one crore rural population. We spoke about *Bharat Nirman,* which requires huge amounts and outlays. I sincerely believe and feel that the allocations that have been made are not enough. Even though we have increased by more than 150 per cent when compared to the previous Government, still there is a need to increase multi-fold; we need to exponentially increase the allocation for rural development.

Another important thing is, Shrimati Indira Gandhi, in the late Seventies or early Seventies, had distributed vast lands for rural poor, downtrodden, and landless poor. Those lands are lying barren for lack of resources or funds. In some areas, they had to sell off those lands to have a way of living. We need to work out a way because the

allocation made here is only Rs.1,100 crore for land resources. We need to increase and see as to how we can allocate more.

The Government of Andhra Pradesh have allocated more than Rs.500 crore in order to bring back those lands under cultivation. We need to work out an all-India policy as to how we can bring back those lands into cultivation and the poor and downtrodden can really cultivate, produce and have a way of living because we have been talking about *Indiramma Palama* - trying to bring back what Indiraji had done in her golden era and days, trying to bring in social justice. If we are talking of rural development, we need to bring about social uniformity and growth across the border and among all the sections. That is the reason we need to see how we can allocate more funds for bring about uniform development.

One more important thing is, thousands of hectares of forest land are barren. Why can't we allocate those lands to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes so that they can do plantation, bring about ecological balance and improve the environmental condition in this country? There are a lot of things that we need to do for bringing about rural development. I hope the hon. Minister, who has been fighting for the causes of downtrodden and development of the backward region would try to fight for more resources and will also be most unreasonable in fighting and asking for more funds from the Government.

With these words, I appreciate the Government for the initiatives and also request the Government to do more for the rural population.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, बहुत महत्वपूर्ण विाय पर सदन में चर्चा हो रही है और छ: बज रहे हैं। अगर सदन की सहमति हो तो आठ बजे तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए। साढ़े सात बजे तक डिसकशन हो और उसके बाद सरकार का जवाब होगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति महोदय, सदन का समय बढ़ा दीजिए।

सभापति महोदय, आपने मुझे र्वा 2005-06 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा में बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। â€¦ (व्यवधान)

DR. CHINTA MOHAN (TIRUPATI): It is an important subject. The reply can be given tomorrow.

सभापति महोदय : कल दूसरे विाय पर चर्चा होनी है।

SHRI RAM KRIPAL YADAV (PATNA): It is a very important subject.

MR. CHAIRMAN : Please take your seat.

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय बोला जाता है, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय एक ऐसा विभाग है, जहां ग्रामीण रूरल एरिया में डेवलपमेंट विकास की पूरी परियोजनाएं निहित हैं।â€¦ (व्यवधान) मेरा सौभाग्य है कि मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की सलाहाकार समिति का सदस्य हूं। मुझे इस मंत्रालय के सलाहाकार समिति में सदस्य होने का मौका मिला है। समय-समय पर माननीय मंत्री जी का सानिध्य, उनके सुझाव और उनके विचार बहुत कारगर होते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इंदिरा आवास योजना की तरफ आकर्ाित करना चाहूंगा। हम जनप्रतिनिधि जब भी जनता के बीच में जाते हैं तो बहुत से ऐसे लाभार्थी बीपीएल कार्डधारक हमारे बीच में आते हैं, जो फूस की झोंपड़ी बना कर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। खुले आकाश में पेड़ों के नीचे रहते हैं और जब उनका परिवार बढ़ता है तो उन्हें सिर छिपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। चयन में भी बहुत गड़बड़ियां हैं और खास कर वास्तविक लाभार्थी को उसका फायदा नहीं मिल पाता है। ऐसा भी है कि एक ही परिवार के कई सदस्यों को आवास आबंटित हो जाते हैं, मगर उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती, क्वालिटी का भी बहुत फर्क पड़ता है। आपने इस धनराशि को बढ़ाया है, मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में कम से कम एक ऐसा कमरा बने, जहां एक ही परिवार के कम से कम छ :- सात सदस्य होते हैं, उनके लिए कम से कम बैठने और सोने की व्यवस्था हो सके।

महोदय, मैं राट्रीय बायो गैस कार्यक्रम की तरफ भी मंत्री जी का ध्यान आकर्ाित करना चाहूंगा। र्वा 2003-04 में, जो उत्तर प्रदेश सरकार को द्वितीय किश्त जानी थी, वह अभी तक नहीं गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से द्वितीय किश्त लाने के लिए अनुरोध किया है, जिसमें 1.55 करोड़ रुपए देने की बात है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि राट्रीय बायो गैस कार्यक्रम, र्वा 2003-04 की जो द्वितीय किश्त उत्तर प्रदेश सरकार को जानी है, उसे तत्काल भेजें ताकि वहां इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। राट्रीय सम विकास योजना भारत सरकार की ही योजना है। मंत्री जी, मैंने पहले भी आपसे अनुरोध किया था कि इसका चेयरमैन आपने जिलाधिकारी डीएम, कलेक्टर को बनाया है, वे जैसा चाहते हैं, जहां चाहते हैं, वैसा करते हैं। मैं जानता हूं कि वहां से प्रौजेक्ट बन कर शासन को आता है और फिर यहां भारत सरकार में डिसकशन होता है, लेकिन इसमें हम लोगों की राय नहीं मानी जाती। भारत सरकार का पैसा है, लेकिन उसमें हमारी कोई राय नहीं मानी जाती।

महोद्य, मैं आप्से अनुरोध करता हूं कि राट्रीय सम विकास योजना में कम से कम सांसदों की राय ली जाए और उनके कहने पर काम हो। जहां तक समग्र ग्राम ि वकास की बात है, इसमें बहुत से पैसे राट्रीय सम विकास योजना के गए हैं। इसका चयन विधायक करता है, उसमें सांसद से कोई मतलब नहीं रहता। भारत सरकार का पैसा है, लेकिन हमारी कोई भागीदारी नहीं है। मैं आप्से मांग करता हूं कि इस पर विशे ध्याद दें। खास कर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रतिशत धनराशि, प्र ाशासनिक व्यय के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है एवं मांग की है। मैं चाहूंगा कि उस अनुरोध को भी मान लिया जाए, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके पास भेजा है। मैं माननीय मंत्री जी को एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा।

जहां तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के ऊपर 22.5 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है कि यह अनुदान राशि उन पर खर्च की जायेगी, लेकिन वह राशि उन पर खर्च नहीं होती। मेरी आप्से मांग है कि उस 22.5 पर्सेंट धनराशि को अगर खर्च न हो तो जिले में ही रखा जाये और उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की और सांसद महोदय से पूछकर उस पर खर्च किया जाये। होता क्या है कि पैसा खर्च नहीं होता तो कहीं गांव में मिट्टी का काम थोड़ा बहुत करा दिया गया और उसे खर्चे में दिखा दिया गया, लेकिन सही तरीके से उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, इस ओर भी आपका ध्यान आकर्ाित करना चाहूंगा।

दूसरी बात, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज़ चार की बात मैं कहना चाहूंगा। फेज़ तीन तक काम तो उत्तर प्रदेश में हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज़ चार के काम अभी स्वीकृति हेतु भारत सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजे हैं। मैं मांग करना चाहूंगा कि इसे आप प्रमुखता से फेज़ चार की धनराशि को अवमुक्त कर दें ताकि वहां पर काम हों। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात इसमें अक्सर देखने को मिली है कि बहुत से किसानों की खड़ी फसल की खुदाई भी हो जाती है और उनको क्षतिपूर्ति भी नहीं मिल पाती है। मेरी मांग है कि कम से कम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अगर किसी किसान की खड़ी फसल है, जमीन की बात तो मैं नहीं कहता, अगर जमीन भी जाती है तो उसका भी मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन खड़ी फसल या हरी फसल को किसान बड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद बोता है तो उसे क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था इसमें होनी चाहिए।

दूसरी बात, क्षेत्रीय ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत तमाम योजनाएं भारत सरकार के पास लम्बित हैं, खासकर ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास लम्बित हैं। क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान के लिए भी मैं चाहूंगा कि आप धनराशि दे दें, यह बख्शी का तालाब लखनऊ में भी है। इसी प्रकार से वहां पर सुदृढ़ीकरण और उसके विस्तार की तमाम योजनाएं आपके मंत्रालय के विचाराधीन हैं। उन्हें प्रमुखता से लें ताकि उन पर हम कुछ कर सकें।

मैं एक बात पेयजल के बारे में और कहना चाहूंगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने तमाम सुविधाएं पहुंचाने की बात कही है कि कुछ अंशदान गांवों में हमारे ग्रामवासी करें। इसके साथ ही साथ कुछ धनराशि भारत सरकार देगी। इसमें कुछ कठिनाइयां हो रही हैं, कहीं-कहीं पर ऐसे इलाके हैं, जहां पर ग्रामीण अंशदान देने में बिल्कुल मजबूर हैं, वे नहीं दे सकते हैं। लोग बहुत गरीब हैं और वहां पर पेयजल की समस्या है, इसलिए मैं आप्से मांग करता हूं कि इस पर भी विचार करें।

एक मांग के बारे में मैंने आप्से पहले भी कहा था कि हम सांसदों के पास कोई धनराशि नहीं है। या तो अपने दो करोड़ रुपये से ही हम अपनी पेयजल की समस्या का निराकरण करें, हमारे क्षेत्र में 5-5, 6-6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, मैंने मांग की थी कि आप जो भी सांसद हैं, उनको कम से कम हर विधानसभा क्षेत्र में 2-2, 4-4, 5-5 सौ हैण्डपम्प देने की व्यवस्था करा दें ताकि पेयजल की सुविधा मिल सके।â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : कन्क्लूड कीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं बस कन्क्लूड करता हूं। इस समय सूखे की स्थिति है और जलस्तर बहुत नीचे जा रहा है। इंडिया मार्क-2 का हैंडपम्प लगता है, वह बहुत कारगर है। उसकी लाइफ 20-25 वर्ा होती है, उसमें से जितने पानी की आवश्यकता होती है, उतना आदमी निकाल पाता है और वाटर वेस्ट भी नहीं जाता, इसलिए मैं मांग करता हूं कि कम से कम सांसदों को 1-1 हजार या डेढ़-डेढ़ हजार हैंडपम्प दे दें ताकि अपने क्षेत्रों में हम लोग लगाकर पेयजल समस्या का निराकरण करा सकें।

दूसरी बात, भारत सरकार से ही कुछ योजना गई है कि लाभार्थी 10 पर्सेंट दें, 90 पर्सेंट सरकार देगी। इसमें कहीं-कहीं ऐसी स्थिति आती है कि लाभार्थी 10 पर्सेंट भी नहीं दे पाते हैं तो इसमें भी कम से कम कुछ रिलैक्सेशन लाभार्थियों को दें। वह चाहता है कि पूरे तरीके से जो धनराशि सरकार मुहैया कराये, उसी से हैंडपम्प लगे। मैं आप्से मांग करता हूं कि इस ओर भी विशे ध्यान दें। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि तमाम योजनाएं, जो उत्तर प्रदेश की आपके मंत्रालय से सम्बन्धित हैं, भेजी हुई हैं। मैं चाहूंगा कि उनको जल्दी स्वीकृति दे दें ताकि वहां का विकास हो सके।

सभापति महोदय, मैं इन बातों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री सीताराम सिंह (शिवहर) : सभापति महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय की माँगों पर आपने मुझे बोलने की अनुमित दी इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और प्रशंसा करता हूं कि जब से यूपीए सरकार बनी है और ग्रामीण विकास मंत्रालय इनको दिया गया है तब से इन्होंने गांव के विकास के लिए काफी प्रयास किए हैं । कई कार्यों में सफलता मिली है और कई ऐसे कार्य हैं जिनको पूरा करने का काम चल रहा है ।

महोदय, मैं विशेकर दो-चार बिंदुओं पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्ाित करना चाहूंगा । पहली बात तो यह है कि जो गांव में इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं उनमें जो सिस्टम चल रहा है वह अपनी जगह पर ठीक है किंतु एक राय इस क्रम में हम इस सरकार को देना चाहते हैं कि जहां पंचायती राज लागू है और पंचायतों के चुनाव हो गए हैं ऐसी तमाम जगहों पर आम सभा करके चयन करना होता है । मैं और जगह की बात तो नहीं करता हूं किंतु बिहार की बात मैं कहना चाहता हूं जहां किसी गांव में आम सभा नहीं होती है । आम सभा की बात तो अलग है यहां तक कि पंचायत कमेटी के जो चुनाव हुए, जो उनके सदस्य होते हैं उनसे भी वहां के मुखिया राय नहीं लेते हैं और अपने घर में पंचायत सेवक को बैठा कर चयनित कर लेते हैं । वहां पर बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है । गरीब लोगों के लिए दिए जाने वाले धन का तत्काल सदुपयोग गांव में होना चाहिए किंतु उसकी बंदरबांट हो रही है । अन्य शब्दों में संसद के अंदर बोलना मुनासिब नहीं होगा । मेरा इस सरकार से अनुरोध है कि इस कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए और भी कठोर कदम उठाए जाने चाहिए ताकि जिस कार्य के लिए आप धन देने जा रहे हैं वह गांव के सही आदमी को मिल पाएं । उसकी कटौती न हो और बंदरबांट न हो ।

दूसरी बात इस क्रम में मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार में जो बाढ़ आई थी उससे काफी भवनों की क्षति हुई थी । हम सभी लोगों ने सरकार से मांग की थी कि सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए धनराशि दी जाए । मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि आपने बिहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए धनराशि दी, मगर मैं यह भी शिकायत करना चाहता हूं कि उस पैसे का भी बेहतर तरीके से बंटवार नहीं किया गया है । बहुत जगहों पर तो अभी भी पैसा नहीं बांटा गया है । इस पर ज्यादा बहस करूंगा

तो यह राज्य का मामला बन जाएगा लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी मेरे साथी जो बोल रहे थे इन सारी जगहों पर सांसदों से उनकी राय को जिले के पदाधिकारी लेना मुनासिब नहीं समझता है और सरकार की ओर से जो पत्र गए, काम तो बहुत अच्छा हुआ आपने धन दिया लेकिन सांसदों का भी उसमें सुझाव शामिल हो या उनको भी उसकी निगरानी करने में तरजीह दी जाए । मैं समझता हूँ कि तभी यह कार्यक्रम ज्यादा सफल हो

सकेगा। आपने मदद के लिए 20 से 25 हजार रुपया किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने कमेटी में भी इसको और बढ़ाने की बात कही थी।

सड़क बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सम्पर्क सड़क योजना के तहत बिहार को भी शामिल किया गया है । किन्तु इस योजना में हमारे यहां कठिनाई पैदा हो रही है। बिहार के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि वहां पर कई दिक्कतें आई हैं और वास्तव में वहां पर अभी तक कुछ नहीं किया गया है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि दो महीने रह गए हैं, उसके पश्चात वहां पर पानी ही पानी हो जाएगा। जमीन पर कोई योजना शुरू भी नहीं हो पाएगी। हमने एक साल तो बिता लिया। छः मई को एक साल पूरा हो जाएगा।â€¦ (व्यवधान)

श्री दुयंत सिंह (झालावाड़) : सभापति महोदय, हाउस में कोरम नहीं है।â€¦ (व्यवधान)

श्री सीताराम सिंह : आप चले जाएंगे, तब भी कोरम रहेगा। कोरम की कमी नहीं है।â€¦ (व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए मंत्री जी को विशे ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम जनता के बीच जाकर कुछ कहने लायक हो सकेंगे।â€¦ (व्यवधान)

मैं प्रधान मंत्री ग्राम सड़क पथ के बारे में कहना चाहता हूं। उसमें जो टैंडर किया जा रहा है, हमारे इलाके में कई कम्पनियां गईं।â€¦ (व्यवधान) टैंडर में जो टर्म्स एंड कंडीशन्स हैं, वह टैंडर में आते ही नहीं हैं।â€¦ (व्यवधान)

श्री दुयंत सिंह : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हाउस में गणपूर्ति नहीं है।â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : घंटी बजायी जा रही है। आप बैठ जाइए।

सभापति महोदय : जब तक कोरम बैल बज रही है, तब तक माननीय सदस्य रुक जाएं।

...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(Interruptions) â€¦*

सभापति महोदय : कोरम बैल बज रही है, इसमें कोई प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं होगा।

....(व्यवधान)

---

* Not Recorded.

सभापति महोदय : अब गणपूर्ति हो गई है। माननीय सदस्य श्री सीताराम सिंह अपना भााण जारी रखें। **सीताराम सिंह** : महोदय, मैं कह रहा था कि सरकार ने जो योजना चलाई, उसमें फूड फार वर्क काफी उपयोगी योजना है। इस योजना के अंतर्गत बिहार के बहुत कम जिले लिए गए हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे बिहार के जितने जिले हैं, कोई बाढ़ से पीड़ित है, कोई सूखे से पीड़ित है, इस योजना को सम्पूर्ण बिहार में लागू किया जाए।â€¦ (व्यवधान)

वाँ से हमारी उपेक्षा हुई है। आज जो लोग उधर बैठे हैं, उन्होंने इधर बैठकर छ वाँ में हजारों, करोड़ों रुपये बिहार का हिस्सा दूसरे राज्यों को देने का काम किया और आज गांव की बात सुनने के लिए कोरम खोज रहे हैं। हमने बिहार के तमाम जिलों को फूड फार वर्क योजना के अंतर्गत लाने के लिए प्रश्न भी किया था। मंत्री जी इस बारे में कृपा करें, यह हमारा सुझाव है और प्रस्ताव भी है। आपने सम विकास योजना में भी कई जिलों को लिया, लेकिन हमारे बिहार में अभी भी कम है। गरीबों को काम के लिए पंजाब और हरियाणा जाना पड़ता है। हमारे यहां गरीबों के लिए कोई काम नहीं है। उनके लिए कोई योजना नहीं है। कहीं सूखे से परेशानी थी तो कहीं बाढ़ से परेशानी थी। मेरा निवेदन है कि राट्रीय सम विकास योजना से सम्पूर्ण बिहार को जोड़ा जाये। मैं विश्लेाण नहीं करना चाहता। â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : सीता राम जी, अब आप कन्कलूड कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री सीताराम सिंह : सबसे महत्वपूर्ण प्वाइंट है कि इन्होंने गांव के विकास के लिए एक और कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत ये बैकवर्ड जिलों के लिए धन देने जा रहे हैं। इस संबंध में वित्त मंत्री जी ने भााण दे दिया तथा धन आवंटित कर दिया। लेकिन अभी तक यह तय नहीं कर पाये हैं कि रूपया कब जायेगा। बाढ़ के बाद पैसा देने का क्या फायदा होगा । मैं पूछना चाहता हूं कि यह पैसा बाढ़ से पहले जायेगा या नहीं ? सबसे दुखद बात यह है कि गांव में जेआरवाई के तहत धन की पटका-पटकी हो रही है। श्री मणि शंकर अय्यर जी कह रहे हैं कि इसको पंचायत के खाते में डाल दो। मेरा कहना है कि इससे यह काम होने वाला नहीं है। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में वह पैसा जिला कलैक्टर के पास जाये क्योंकि वह पैसा जिले के विकास के लिए जा रहा है। पंचायतों में जेआरवाई का पैसा जा रहा है। वहां विकास हो रहा है या नहीं, यह बाकी राज्य जानें लेकिन हम लोग आंख से देख रहे हैं कि एक ईंट को पांच आदमी उखाड़ रहे हैं। मिट्टी पर मिट्टी रखने जा रहे हैं। उसकी कोई जांच करने वाला नहीं है। उसकी कोई मौनीटरिंग नहीं हो रही है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैकवर्ड जिले के लिए जो पैसा जाना है, उस पैसे को पंचायतों के मुखिया को न देकर जिला कलैक्टर को भेजा जाये। अगर पंचायतों को पैसा जायेगा तो वह पैसा बर्बाद हो जायेगा तथा सरकार का जो सपना है, वह मूर्तरूप में न होकर सिद्धांत रूप में रह जायेगा। इसलिए इस बात पर विशे ध्यान दिया जाये। माननीय ग्रामीण मंत्री के पास यह विभाग न होकर श्री मणि शंकर अय्यर जी के पास है। अगर यह पैसा पंचायत के पास जायेगा तो यह काम होने वाला नहीं है क्योंकि मुखिया अपनी राय नहीं दे

सकता। â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : सीताराम जी, आप आसन की तरफ देखकर बात करें। अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री सीताराम सिंह : मैं पेयजल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। â€¦ (व्यवधान) ग्रामीण विकास मंत्रालय में पेयजल पर काफी बहस और प्रचार चल रहा है। â€¦ (व्यवधान) मैं वही बता रहा हूं। â€¦ (व्यवधान) विधायक लोगों की अनुशंसा पर पांच-पांच सौ रुपया विकास कार्यों के लिए मिल जाता है। अगर एम.पीज. की अनुशंसा पर पैसा दिया जायेगा तो क्या उसे हम अपने घर में लगा लेंगे ? मेरा कहना है कि एम.पीज. की अनुशंसा का महत्व हो। सरकार इसके लिए कटौती क्यों कर रही है ? आज सारे विभाग की कटौती एम.पीज. के पावर से हो रही है। एम.पीज को टेलीफोन के लिए सिम कार्ड की पावर नहीं है। गांव में पेयजल की स्कीम के लिए कोई अनुशंसा देने की पावर एम.पीज. को नहीं है। एम.पीज. दो करोड़ रुपये से इन छः कांस्टीटूएंसी में जाकर क्या कर सकता है ? हमारा कहना है कि आप इस पैसे को बढ़ा नहीं सकते तो इसे बिल्कुल हटा दीजिए। अब विधान सभा क्षेत्रो में एम.पीज. की अनुशंसा पर मिनिमम 10 चापाकल लग सकते हैं। â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री सीताराम सिंह की बात को छोड़कर और किसी की बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...(व्यवधान)

श्री सीताराम सिंह : अभी भारत सरकार ने सिंचाई के लिए कोई योजना बनाई है। उसके बारे में एम.पीज. को पता नहीं। उसमें सारी पावर्स किसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दे दी है। वहां लोग ट्रक के ट्रक ढो रहे हैं। कौन सी फाइल कहां है, यह एम.पी. को पता नहीं है। उनको किसी बात की कोई जानकारी नहीं है। हमारा कहना है कि इसमें एम.पीज. की अनुशंसा भी जरूरी है।â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप कन्कलूड कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री सीताराम सिंह : पूरे बिहार में पाइप का अभाव है। वहां पानी का लैवल बिल्कुल नीचे तक चला गया है। हमारी मांग है कि विशेा पैकेज देकर हमारे यहां गांव में पाइप बिछायी जाये जिससे जनता को सुविधा मिल सके। मैं एक बात और कहना चाहूंगा जिसके बारे में अभी सांसद महोदय चर्चा कर रहे थे। आपने गांव में शौचालय बनाने का निर्णय किया है। मेरा कहना है कि यदि आप उसे बनाना चाहते हैं तो ढंग से बना दीजिए।

पैसा 1940 का निर्धारित किया हुआ है लेकिन महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, आप उसकी राशि बढ़ाइए और राशि बढ़ाकर दस प्रतिशत अगर आफ बैनेफिशयरी से लेना भी चाहते हैं तो लीजिए लेकिन सरकार की ओर से इसकी राशि बढ़ाइए और समेकित रूप से गांव में सामूहिक विकास को बढ़ाइए।â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : सीताराम सिंह जी, आपका भााण अब समाप्त होता है। चेयर से हमने नियमन दे दिया है।

श्री सीताराम सिंह : सभापति जी, मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई है।â€¦ (व्यवधान) मेरा कहना है कि माननीय मंत्री जी इस पर विशेा ध्यान देंगे और गांवों के हित के लिए काम करेंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : इलियास आजमी जी, आप बोलिए।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : मैं यहां सिर्फ एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिस गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी इस बहस को ले रही है, वह यह है कि उनके सिर्फ दो सदस्य हाज़िर हैं।â€¦ (व्यवधान)

श्री दुयंत सिंह : आपके भी नहीं हैं।â€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except the statement of Shri Ilyas Azmi.

(Interruptions) â€¦*

---

* Not Recorded.

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय की बजट मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।â€¦ (व्यवधान)

कुँवर मान्वेन्द्र सिंह (मथुरा) : सभापति जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है।â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : मान्वेन्द्र सिंह जी, जब आपका समय आएगा, तब आप अपनी बात रखिएगा।

(Interruptions) â€¦*

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of Shri Ilyas Azmi.

श्री इलि्यास् आज़मी : मुझे आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं ? मैं तो आपका ही समर्थन कर रहा हूं। सही बात यह है कि ग्रामीण विकास मंत्री जी पूरी योग्यता और क्षमता के साथ चाहते हैं कि बेहतर नतीजा निकले। जो भारत सरकार पैसा दे रही है, इसमें कोई कमी नहीं है और बजट में कोई कमी नहीं है। योजनाएं सब बहुत अच्छी हैं लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बल्कि मैं कहूंगा कि अब तो गुंजाइश नहीं है लेकिन यदि कोई गुंजाइश हो और वित्त मंत्री जी यहां होते तो मैं कहता कि ग्राम विकास की मद में, खासकर प्रधान मंत्री सड़क योजना की मद में और ज्यादा पैसा बढ़ाया जाए। पैसा यहां से राज्य सरकारों के माध्यम से डीआरडीए में जाता है, वहां से कलैक्टर अगर भ्रष्ट है तो वहां कलैक्टर के साथ लगभग सभी सीडीओज भी भ्रष्ट हैं। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में जानता हूं। डीआरडीए पूरा भ्रष्ट है और केन्द्रीय योजनाओं के मामले में, जो राज्य में सत्ताधारी पार्टी होती है, उसके विधायक पूरी योजना का अपहरण कर लेते हैं और माफियाओं से मिलकर जो छोटी-छोटी योजनाएं हैं, उनका पैसा पूरी तरह से हजम हो जाता है। एसजीआरवाई के पैसे में यहां से शैड्यूल्ड कास्ट के आरक्षण के लिए 22.5 प्रतिशत जाता है लेकिन फर्जी आंकड़ा आता है और एस.सी. पर एक पैसा खर्च नहीं होता है। मेरी मांग है कि पहले आप यह कीजिए कि एक गाइडलाइन्स जारी करके जो पैसा एसजीआरवाई में जाता है, उसका 22.5 प्रतिशत अलग से जिले में फंड कायम करके, जनप्रतिनिधियों और बल्कि मैं कहता हूं कि विधायकों को भी इसमें शामिल कर लीजिए और एस.सी. के सामूहिक विकास पर उस पैसे को खर्च किया जाना चाहिए न कि एक गांव में अगर मिट्टी पड़ रही है और अगर उसमें एस.सी. की एक बस्ती आ गई तो पूरे का पूरा एस.सी. के 22.5 प्रतिशत में जोड़ लिया गया। अब तक यही होता रहा है।

---

* Not Recorded.

जो स्वच्छता कार्यक्रम है या जो छोटे कार्यक्रम हैं और ग्रामीण विकास की जो योजनाएं हैं, वे जिला अधिकारियों की चरागाह बन गई हैं। पूरा का पूरा खा लिया जाता है। कोई चिंता ही नहीं है। मैं अपने जिले की सतर्कता और निगरानी समिति का अध्यक्ष हूं और मुझे अब तक नहीं बताया गया कि वर्ा 2004-2005 में कितना पैसा किस मद में गया था ?

महोदय, केंद्र सरकार की ओर से यह निदेश दिया जाए कि वर्ा 2004-05 का पूरा हिसाब सर्तकता समितियों के सामने रखा जाए कि कितना-कितना पैसा किस-किस मद में खर्च किया गया है। मैं व्यक्तिगत तौर पर इसे जानता हूँ और मीटिंग होगी तो उसे बता सकता हूँ। प्रधानमंत्री सड़क योजना एक सबसे अच्छी योजना है, सबसे ज्यादा विकास इसी योजना के जरिए हो रहा है। गांव के गरीबों को भी अच्छी सड़कों पर चलने का उतना ही अधिकार है जितना कि में चमकदार सड़कों के आस-पास रहने वालों को है। यह योजना इस जरूरत को पूरा कर रही है। हालांकि इस वर्ा इसके लिए प्रावधान 2100 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 3800 करोड़ कर दिया गया है, लेकिन इसमें और वृद्धि करने की आवश्यकता है क्योंकि अभी तक यह योजना ठीक से काम कर रही है। अलबत्ता उत्तर प्रदेश में विधायकों ने राज्य सरकार के ग्राम विकास आयुक्त पर दबाव डालकर जिलों को यह निर्देश जारी करवा दिया है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के प्रस्ताव में भी विधायकों को शामिल कर लिया जाएगा, जबकि पहले गाइडलाइन्स में यह व्यवस्था थी कि सांसद प्रस्ताव करता था और जिला पंचायत द्वारा इसे एप्रूव किया जाता था। इसके साथ ही यह भी किया गया है कि योजना का शिलान्यास तो सांसद करेगा लेकिन उससे सम्बन्धित कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर पत्थर वगैरह लगता है तो उस पर उतने ही मोटे-मोटे अक्षरों में विधायक महोदय का भी नाम लिखा जाएगा ताकि विधायक महोदय यह कह सकें कि यह उनकी देन है, जबकि वास्तव में उनका इसमें कोई योगदान नहीं है। इन सब चीजों पर रोक लगाई जानी चाहिए।

जहाँ हैण्डपम्प और पेयजल की बात है, मैं पार्टी भावना से ऊपर उठकर बहुत सफाई से कह सकता हूँ कि योजना का 90 प्रतिशत पैसा केंद्र सरकार की ओर से जाएगा और 10 प्रतिशत लोगों को देना होगा। यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर लोग इसमें योगदान देंगे तो वे हैण्डपम्प की रखवाली करेंगे और मरम्मत भी करेंगे। लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हर विधायक - एमएलए, एमएलसी और यहाँ तक कि मनोनीत एमएलसीज को भी दो-दो सौ हैण्डपम्प आवंटित कर दिये हैं लेकिन सांसद को एक भी हैण्डपम्प नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी के मेरे सांसद भाई मुझे माफ करेंगे, जब मैंने इस बारे में बात की तो मुख्यमंत्री के एक नजदीकी ने बताया कि हमें सरकार भी चलानी है। क्या मनमोहन सिंह जी को सरकार नहीं चलानी है जो उन्हें अपने सांसदों की बेइज्जती की कोई चिन्ता नहीं है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक सांसद के लिए 150 हैण्डपम्प आवंटित करने का प्रावधान रखा गया है।

सभापति महोदय : शैलेन्द्र कुमार जी, आप पहले बोल चुके हैं, कृपया अब माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री इलि्यास् आज़मी : आप ठीक कह रहे हैं। 150 हैण्डपम्प देने की बात कही गयी है। उत्तर प्रदेश में एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सामान्यतः पांच विधानसभा क्षेत्र होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से 30 हैण्डपम्प सांसद रिकमेंड कर सकते हैं। पूरा पैसा केंद्र सरकार का है, फिर भी एक विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक 200 हैण्डपम्प लगाएगा और सांसद केवल 30 हैण्डपम्प लगवा सकता है। हर गांव से कम से कम चार-पांच हैण्डपम्पों की मांग होती है और हर ि वधानसभा क्षेत्र में लगभग पांच सौ बसावटें हैं। जहाँ से विधायक वोट लेकर आता है, वहीं से सांसद भी आता है। आप पैसों का दरिया बहा रहे हैं, लुटेरे लूट रहे हैं और अगर सबसे बेचारा कोई है तो वह है संसद सदस्य, जिसे कोई पूछता भी नहीं है।

इसी प्रकार फूड फॉर वर्क योजना 100 प्रतिशत केन्द्र सरकार की योजना है। उसमें हमारे क्षेत्र में एक जिला लखीमपुर है। एक दिन इस जिले के डीएम का मेरे पास फोन आया। उसने मुझे 31 तारीख को मीटिंग में आने के लिए कहा। ऐसा उसने अपने ही बचाव में किया था क्योंकि क्षेत्रीय विधायकों ने उसे घेर रखा था कि फूड फॉर वर्क योजना में तहत जो पैसा बनता है, उसे विधायकों के बीच बांट दिया जाए और उसे वे लोग अपने हिसाब से खर्च कर सकें। वहाँ का डीएम थोड़ा कमजोर पड़ता है तो मैंने कहा कि 31 तारीख को हमारी पार्टी का कार्यक्रम है, उस दिन अगर आप चार बजे के बाद मीटिंग बुलाएं, तभी मैं इसमें पहुंच सकता हूँ।

मैं वहां गया तो देखा कि सारे विधायकों की एक राय थी कि इतना रुपया है और सात विधायक हैं तथा एक एम.एल.सी. है, तो कुल आठ हो गए। मैंने कहा कि एक एम.एल.सी. नहीं, दो एम.एल.सी. हैं, क्योंकि एक बसपा का है। इस पर उन्होंने कहा कि वह तो राज्यपाल महोदय द्वारा मनोनीत है। उन्होंने कहा कि कुल सात ि वधायक और एक एम.एल.सी. हमें पैसा बांट दो, तो सारा काम हो जाएगा। मैंने कि ऐसे नहीं होगा। यह राज्य सरकार का पैसा होता तो आप बांट सकते थे, लेकिन यह पैसा केन्द्र सरकार का है इसलिए इसे कैसे विधायकों में बांट सकते हैं। इसलिए मैं अपनी बात पर अड़ गया। इसीलिए डीएम ने मुझे बुलाया था कि आप आ जाएं, नहीं तो मैं मना करूंगा तो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा।

सभापति महोदय : अनुशंसा बंटती है या पैसा बंटता है ?

श्री इलि्यास् आज़मी : मैं वही बता रहा हूं। वे कह रहे थे कि विधायक निधि की जगह इसे खर्च करेंगे। मैं इस पर अड़ गया और उसके बाद यह तय हुआ कि आप लोग प्रस्ताव दें और प्राथमिकता वाले प्रस्तावों को पहले लिया जाएगा। यह पैसा लखीमपुर जिले में लगभग बंट गया था, क्योंकि सीडीओ को धमकी दे दी थी और डीएम को ट्रांसफर की धमकी देकर राजी कर लिया था। इसीलिए डीएम ने मुझे खास तौर से बुलाया था। यह वहां के हालात हैं। हम लोग एक हैंडपम्प भी लगाने की स्थिति में नहीं है। कहने को पैसा भारत सरकार का है और हमारी पार्टी भारत सरकार को समर्थन दे रही है। यह ठीक है कि वहां सभी विधायकों को 200-200 हैंडपम्प अपने-अपने क्षेत्रों में लगाने की अनुमति दी गई है, लेकिन संसद सदस्य को यह अनुमति नहीं दी गई है। वे कहते हैं कि हमें सरकार चलानी है। मैं रघुवंश प्र

ा्साद जी ्से कहना चाहूंगा कि आप प्रधान मंत्री जी कहें कि क्या उन्हें ्सरकार नहीं चलानी है, ्सिर्फ उत्तर प्रदे्श के मुख्य मंत्री को ही चलानी है। इ्सलिए मैंने आपके कान में ्यह ्बात डाली है।

फूड फार ्वर्क एक अच्छी ्योजना चल रही है। ्यहां ्से ्साफ-्साफ निर्दे्श दि्या जाए कि ्भारत ्सरकार की ्सारी ्योजनाओं में लोक ्स्भा के ्सद्स्यों के प्रस्ता्वों को प्र ााथमिकता दी जाएगी। ्स्भी केन्द्री्य ्योजनाओं का ्शिलान्या्स और उद्घाटन लोक ्स्भा ्सद्स्य करेंगे।

मेरा दू्सरा ्सुझा्व है कि एसजीआर्वाई में कुल पै्से का ्साढ़े 22 प्रति्शत चाहिए तो ्यहीं ्से ्वह अलग कर दि्या जाए। इसके लिए आप जिलों को निर्दे्श दें कि ्वह पै्सा अलग करके एक फंड ्बनाएं और जनप्रतिनिधि्यों के माध्यम ्से ्सामुदा्यिक ्विका्स पर उ्से खर्च कि्या जाए। हर कलेक्टर को पा्बंद कि्या जाए कि उ्से जि्स दिन जि्स ्योजना के लिए पै्सा मिलता है, फौरन लोक ्स्भा के ्सद्स्यों को इसकी ्सूचना दे कि आज हमें इ्स मद में इतना पै्सा केन्द्री्य ्योजना के तहत मिला है। इ्समें ्से इतना पै्सा एसजीआर्वाई का और इतना प्रधान मंत्री रोजगार ्योजना आदि के लिए है। इ्स्से हमें पता चल ्सकेगा कि कि्स ्योजना के लिए कितना पै्सा मिला है।

्स्वच्छता के लिए डेढ़ करो्ड़ रुपए ज्ब जिलों को ्भेजें, तो उन्हें पा्बंद कि्या जाए। हालांकि आपने निगरानी ्समिति के जरिए ्यह काम कि्या है कि 2004-2005 में ्वह पै्सा कि्सके द्वारा और कहां खर्च कि्या ग्या है, उ्सका ब्यौरा लोक ्स्भा ्सद्स्यों को दि्या जाए। ्सतर्कता ्समिति्यां ्बहुत अच्छी ्बनाई हैं। उनके अधिकार ्भी ्बढ़ाए गए हैं। मैं आपको इसके लिए धन्य्वाद देना चाहता हूं। लेकिन आप जानते हैं, मैं ्भी लोक ्स्भा का ्सद्स्य हूं, हम लोगों को ्शा्यद पूरी जानकारी इ्स ्बारे में नहीं हो पाई है। इ्सलिए आप ्स्भी ्सतर्कता ्समिति्यों के अध्यक्षों का एक ्सम्मेलन ्यहां ्बुलाएं। आप उ्समें ्सचि्व को ्भी ्बुला ्सकते हैं, जि्स्से इन ्समिति्यों के अध्यक्षों को अपने अधिकारों के ्बारे में पूरी जानकारी हो ्सके। इ्स तरह ्से करी्ब 500 लोगों को इ्स ्सम्मेलन में ्बुला्या जा ्सकता है और उन्हें प्रशिक्षण दि्या जाए, ताकि ग्रामीण ्विका्स का पै्सा, गरी्बों का खून निचो्ड़ कर जो पै्सा लि्या जाता है, उ्सका दुरुप्योग न हो। आपको तो ्सिर्फ एक ही काम आता है कि चलो और कुछ नहीं गरी्बों का खून चू्स कर टैक्स लगा दो। उ्स पै्से का ्सही जगह इस्तेमाल नहीं होता, लूटने ्वाले उ्से लूटते रहते हैं और हम टुकर-टुकर देखते रहते हैं।

इसके अला्वा हमारा कोई काम नहीं रह ग्या है। â€¦ (व्यवधान)

्स्भापति महोद्य : इलि्या्स आजमी जी, आपका ्भा्ाण ्समाप्त कि्या जाता है।

श्री इलि्या्स आज़मी : हमें मौजूदा ग्रामीण ्विका्स मंत्री जी ्से उम्मीद है कि ्वह इ्स दि्शा में कुछ काम करेंगे। इतना ही कहते हुए आपको धन्य्वाद देता हूं।

श्री अनंत गुढ़े (अमरा्वती) : माननी्य ्स्भापति जी, ्सदन में ्बहुत गम्भीर और महत्वपूर्ण ्वि्ा्य पर चर्चा हो रही है। ्सरकार ने अपना ्बजट पे्श कि्या। हर ्साल की तरह इ्स ्साल ्भी ग्रामीण ्विका्स के लिए जो निधि मिलनी चाहिए थी और ्विका्स की दि्शा की ओर जो हमें देखना चाहिए था, इ्स ्साल के ्बजट में ्भी ग्रामीणों की छ्वि दिखा्यी नहीं दी। महामहिम रा्ट्रपति जी ने दोनों ्सदनों के ्सामने जो अपना अ्भि्भा्ाण कि्या, उ्समें ग्रामीण ्विका्स पर ्भारी चिन्ता व्यक्त की गई।

्स्भापति जी, ग्रामीण ्विका्स के जो ्भी का्र्यक्रम हैं, ्वे ्बहुत अच्छे का्र्यक्रम हैं और जो का्र्यक्रम चलते आ रहे हैं, ्वे ्भी ्बहुत अच्छे चलते आ रहे हैं लेकिन इनके लिए जो पै्सा ्यहां ्से जाता है, ्वह कि्स ढंग ्से खर्च होता है, इसकी चिन्ता ्सदन में कई ्बार की गई। इ्स पर दे्श ने ्भी चिन्ता व्यक्त की।

आज ्स्भी राज्यों में पानी की दिनोंदिन किल्लत हो रही है। ्ब्र्सात कम होने के कारण पानी की ज्रूरत मह्सू्स हो रही है। राज्य ्सरकारों को जो फंड दिए जाते हैं, ्वे ज्यादा ्से ज्यादा पानी पर खर्च हों, इ्स तरह के निर्दे्श ्सम्य-्सम्य पर दिए जाते हैं। केन्द्र ्सरकार के निर्दे्शों में कहा ग्या है कि राज्यों में एनजीओज की नि्युक्ति करना अनि्वा्र्य है और एनजीओज के माध्यम ्से जल ्संग्रहण के ्विका्स ्से ्संबंधित का्र्यक्रमों को ्बढ़ा्वा देने की ज्रूरत है। मैं महारा्ट्र ्से चुन कर आ्या हूं। राज्य ्सरकार ने जो एनजीओज नि्युक्त किए हैं ्वे ्ब्ड़े-्ब्ड़े लोगों, एमएलएज, मंत्रि्यों के लोग हैं। ्वे ्बिल्कुल काम नहीं करते हैं। ्वे केन्द्र ्सरकार के दि्शा निर्दे्शों का पालन नहीं करते हैं। ्वे ्विका्स का पै्सा ह्ड़प कर जाते हैं। इनके ऊपर कार्र्वाई करने का अधिकार कि्स के पा्स हो और कै्सी कार्र्वाई की जाए, इसके ्बारे में कोई दि्शा-निर्दे्श नहीं हैं। जो ्विजिलैं्स कमेटि्यां नि्युक्त की गई हैं, उनमें एनजीओज कि्स प्रकार ्से काम करते हैं, उन्होंने काम कि्या है ्या नहीं, इनका मूल्यांकन होने के ्बाद कार्र्वाई की जाए। जल ्संग्रहण, ्सिंचन की दि्शा में कोई खा्स काम नहीं हुआ तो पानी की किल्लत होने ्वाली है। जिला लै्वल पर ्विजिलैं्स कमेटि्यां ्बनी हैं। ्यदि एनजीओज मिल कर काम नहीं करते हैं तो इनका मूल्यांकन करने के ्बाद उन्हें ्स्सपैंड करने का पूरा अधिकार ्विजिलैं्स कमेटि्यों को मिलना चाहिए, त्भी ्विजिलैं्स कमेटि्यों का कोई अर्थ होगा। â€¦ (व्यवधान)

मैं महारा्ट्र की ्बात कर रहा हूं। महारा्ट्र में आपकी ्सरकार है और एनजीओज आपके मंत्रि्यों के लोग हैं।

इन्दिरा आ्वा्स ्योजना ्ब्ड़े जोर-्शोर ्से ्शुरू की गई। कहा ग्या कि इसके माध्यम ्से दे्श में 60 लाख लोगों को घर देने का लक्ष्य रखा ग्या है ।

्स्भापति महोद्य, दे्श में ्बीपीएल के कितने लोग हैं, एक-एक गां्व में पचा्स-पचा्स ्बीपीएल की फैमिलीज़ है। पचा्स फैमिलीज के लिए ज्ब उ्स गां्व में घर दि्ये जाते हैं तो दो, तीन ्या चार मकान दिए जाते हैं। इ्स तरह ्से पचा्स ्बीपीएल फैमिलीज़ हैं और उन्हें चार मकान दिए गए तो ्सारे ्बीपीएल को मकान मिलने में 15 ्साल लग जाएंगे । इ्सलिए के्वल 60 लाख का लक्ष्य ्बहुत कम है लेकिन हम गरी्बों के लिए ्सही मात्रा में आ्वा्स मुहै्या नहीं कर ्सकते, इ्सलिए इ्से ्बढ़ाने की ज्रूरत है । हि्सा्ब लगाकर देखें तो जिन राज्यों में ्बीपीएल के धारक अ्भी ्भी ्बाकी हैं, ्वहां ्सारे ्बीपीएल धारक पूरे नहीं होते कि पहले के मकान गिर जाते हैं । एक कापार्ट ्योजना थी, उ्स ्योजना के माध्यम ्से एक गां्व में 25 घर एक ्साथ ्बनने थे, लेकिन ्वह ्बंद कर दी गई । इ्स ्वजह ्से आज हम गां्व के लोगों की इच्छा पूरी नहीं कर ्सकते।

महोद्य, ्बीपीएल में कई लोग ऐ्से हैं, ज्ब नै्सर्गिक आपदा आती है, आग लग जाती है, ्बाढ़ आ जाती है तो उनके घर गिर जाते हैं, कई गरी्ब ऐ्से हैं जो ्बीपीएल में नहीं आते ्या रिज़्र्वे्शन कैटेगिरी में नहीं आते, लेकिन ्वे ्बहुत गरी्ब होते हैं, ्वे अपना घर नहीं ्बन्वा ्सकते, उनके लिए इ्स प्रकार की स्कीम लानी चाहिए । जिनके घर नैचुरल अफैक्टिड हैं, आग ्से जल गए, ्बाढ़ के पानी में ्बह गए और जो लोग ्बीपीएल और रिज़्र्वे्शन में नहीं ्भी हैं लेकिन ्वे गरी्ब हैं, इकोनॉमिकल ्बैक्वर्ड हैं जो घर नहीं ्बना ्सकते, अगर ्बीडीओ की ऐ्सी रिपोर्ट आए तो उ्सकी इंक्वा्यरी करके उन्हें तुरंत घर मुहै्या कराने की ज्रूरत है । इ्स प्रकार ्बीपीएल के लिए इंदिरा ि्वका्स ्योजना में दुरु्स्ती करने की ज्रूरत है ।

महोद्य, कई ्सालों ्से घर ्बनाए जा रहे हैं लेकिन कई राज्यों में ्बिजली की किल्लत होने के कारण इंदिरा आ्वा्स के अंतर्गत ्बिजली नहीं मिलती । मैं महारा्ट्र की ्बात कहता हूं और ्यहां पर ्भी कई ्बार राज्य ्बिजली ्बोर्ड ्से ्बात हुई है, पहले इ्स ्योजना में ्साठ रुपए में ्बिजली का मीटर दि्या जाता था । आज हजार रुपए

रखते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें मीटर नहीं मिलता, लाईन नहीं मिलती। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है क्योंकि हम सही मायने में गरीबों का विकास करना चाहते हैं और सही मायने में देश के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं । अगर बिजली नहीं होगी तो उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? वे पढ़ नहीं सकते क्योंकि उस जगह पर अंधेरा छाया रहता है ।

सभापति महोदय : प्लीज कन्कलूड कीजिए ।

श्री अनंत गुढे : महोदय, अभी बीस मिनट हैं । अगर ऐसी जगह पर सोलर सिस्टम लगाएं तो वहां पर 100 प्रतिशत अनुदान से अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा अपारंपरिक स्रोतों से पैसे से बिजली मुहैया कराई जा सकती है और देश की गरीब फैमिलीज़ को बिजली मिल सकती है।

महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात पीने के पानी के बारे में है । आज सारे राज्य पीने के पानी के लिए जूझ रहे हैं, देश में कई जिले पीने के पानी के लिए जूझ रहे हैं, पीने का पानी नहीं है । पीने के पानी के लिए स्कीम को पैसा नहीं मिलता है । कुछ राज्यों में स्वजलधारा स्कीम, पंचवर्षीय पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, इसके लिए कुछ जिले सैलेक्ट किए गए थे उनमें मेरा जिला अमरावती भी था, जहां से मैं आता हूं, और महाराट्र के चार जिले सैलेक्ट किए गए थे । पहले दो टर्म का पैसा दिया गया लेकिन बाद में दो टर्म का पैसा भी बंद कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि दो टर्म का पैसा मिला, जबकि यह योजना 21 करोड़ रुपए की थी और दस करोड़ रुपया मिला जिससे आधी योजना पूरी हुई और आधी पूरी नहीं हुई । पैसा भी खर्च हुआ, सोर्स मिला, पाईपलाईन डाल दी गई लेकिन पानी नहीं मिल रहा । लोगों ने उसमें दस टका डाल दिया लेकिन दस टका भरने के बाद भी आज वे प्यासे हैं, उनको पानी नहीं मिलता । मेरी समझ में नहीं आता कि बीच में इसे बंद करने की क्या जरूरत थी? केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से कहा कि बची हुई स्कीम को स्वजलधारा योजना में लाना चाहते हैं ।

स्वजल धारा योजना में पैसा देंगे। मेरे जिले अमरावती के लिये पिछले अप्रैल महीने में राज्य सरकार ने पत्र लिखा था लेकिन आज एक साल बीत गया, दूसरा बजट आ गया लेकिन पैसा नहीं मिला। पैसा न मिलने के कारण स्वजल धारा योजना का काम नहीं हो रहा है। लगता है कि यह योजना केवल दिखावे के लिये है। आज ग्रामीण लोगों को पीने के लिये पानी नहीं मिल पा रहा है। जिन लोगों ने इस योजना के तहत 10 प्रतिशत पैसा दिया, उनका क्या होगा? इतना ही नहीं, आज से 15 साल पहले जो टंकी गांव में बनी थी, टूट-फूट गई है । लेकिन उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। नई योजना का क्या होगा, लोग पानी के लिये जूझ रहे हैं। लोगों द्वारा 10 प्रतिशत पैसा लगाये जाने की आपने कंडीशन लगाई गई थी जिसे कई लोगों ने पूरा भी किया लेकिन काम वहीं का वहीं है।

सभापति जी, मेरे क्षेत्र में मेलघाट आदिवासी ऐरिया है जहां गरीब लोगों के पास खाने के लिये कुछ भी नहीं है। वे पेट भरने के लिये इधर-उधर घूमते रहते हैं और अपने बच्चों को मरने के लिये वहीं छोड़ जाते हैं, ऐसे लोग 10 प्रतिशत पैसा कहां से भरेंगे? ऐसी स्थिति में क्या गांव का कोई आदमी पैसे का भुगतान कर सकता है? क्या आप आदिवासियों को पीने के लिये पानी नहीं देंगे? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। हमारा सदन ऐसे आदिवासी क्षेत्रों की चिन्ता करता है, इसलिये मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार ऐसी जगहों पर 100 प्रतिशत सब्सिडी दे और पीने के पानी की योजना चलाये। क्या हम केवल आदिवासी क्षेत्रो के विकास की बात करते रहेंगे और काम नहीं करेंगे? मेरा अनुरोध है कि स्वजलधारा योजना के अंतर्गत जो पैसा अभी तक नहीं मिला है, केन्द्र सरकार उन तमाम राज्य सरकारों को पैसा दे ताकि पिछले 58 साल से वहां पीने के पानी की जो किल्लत चली आ रही है, उसका समाधान हो सके।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिये।

श्री अनंत गुढे : सभापति जी, पूर्व प्रधान मंत्री श्री वाजपेयी जी द्वारा इस योजना को बड़े पैमाने पर बनाया गया था और शिवसेना-भाजपा सरकार ने महाराट्र में 1500 करोड़ रुपये की एक योजना राज्य में बनाई थी। उस समय कुछ जगह पैसा दिया गया लेकिन जैसे ही सरकार बदली, स्कीम बदल गई। आज लोगों को पीने के लिये पानी नहीं मिल रहा है, जो उचित नहीं है। इसी प्रकार माननीय वाजपेयी जी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना निकाली गई थी। उस योजना के अंतर्गत 1000 की आबादी वाले गांव और 500 की आबादी वाले पहाड़ी गांव मुख्य सड़क से जोड़े जाने थे। इस योजना में एक कंडीशन थी कि इस कार्य के लिये केवल एक ही ठेकेदार को टेंडर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण काम नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि एक ही कंट्रेक्टर को यह काम नही देना चाहिये। मेरे जिले में भी कार्य मंजूर हुआ है अगर मिट्टी का काम अर्थवर्क अलग से कर दिया और उसके ऊपर डामर का काम अलग से कर दिया- इसी तरह हम इस योजना को पूरा कर सकते हैं। कंडीशन के अनुसार ठेकेदार को 10 प्रतिशत राशि अमानत के तौर पर भरनी चाहिये, लेकिन वह नहीं भर रहा है। इसके अलावा 5 साल की गारंटी का प्रावधान है लेकिन हम उसमें अपनी राय नहीं दे सकते। मेरा निवेदन है कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना की टर्म्स एंड कंडीशन्स को बदलने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रधान मंत्री जी इस पर विचार करेगे।

सभापति जी, मैं अब एक बात सैनिटेशन के बारे में कहना चाहता हूंâ€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। आपका समय पूरा हो गया।

श्री किशन सिंह सांगवान - अनुपस्थित ।

श्री अनंत गुढे : मैं महिलाओं के लिये संडास की बात कर रहा था *(Interruptions)* â€¦*

सभापति महोदय : आपका भााण रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

श्री जय प्रकाश जी।

---

* Not Recorded.

श्री जय प्रकाश (हिसार) : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ग्रामीण विकास विाय पर बोलने का मौका दिया है, जिसके आधार पर किसी भी सरकार और किसी भी देश की तरक्की होती है। आज इस विाय पर चर्चा हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पांच-सात बातों की ओर आकर्ाित करूंगा। क्योंकि हिन्दुस्तान गांवों में बसता है और गांवों की हालत देश की आजादी के 55-56 वाँ के बाद जितनी सुधरनी चाहिए थी, उतनी नहीं सुधरी है। आज हमारे पूरे देश के गांवों में सबसे बड़ी समस्या सुलभ शौचालयों की है। खासकर हरिजन बस्तियों के गांवों में पहले समलायत की जमीन होती थी, वहां पाखाना करने के लिए महिलाएं बाहर जा सकती थीं। लेकिन आबादी बढ़ने के कारण और समलायत की जमीन घटने के कारण आज देहातों में महिलाओं के लैटरिन जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि एक ऐसी योजना बनाई जाए, शायद कोई योजना है भी, लेकिन एक ऐसी कोई ठोस योजना बनाई जाए, जिसके तहत हर गांव में कम से कम चार-चार, पांच-पांच जगहों पर सुलभ शौचालय बनाये जाएं और उनके रख-रखाव का तरीका भी इसके साथ ही बनाया जाए, ताकि

उनकी सफाई का प्रबंध भी हो सके।

महोदय, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि गांवो में गलियां बनाने के लिए केन्द्र सरकार से पैसा जाता है। इस बारे में मेरा कहना है कि गांवों की जो गलियां पक्की होती हैं, हमारे हरियाणा प्रदेश में वे ईंटों की बनी होती हैं, लेकिन जब वर्षा का पानी वहां इकट्ठा होता है तो वह कच्ची जमीन धंस जाती है और वे गलियां टूट जाती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से शहरों में सीमेंट और कंक्रीट से सड़कें बनाई जाती हैं, इसी तरह से गांवों में जितनी भी गलियां बनें, वे सीमेन्ट और कंक्रीट से बनें, ताकि जो गली एक बार बन जाए उसे पांच-दस वर्षों तक दोबारा बनाना न पड़े।

मेरा तीसरा सुझाव है कि आज देहातों के लोग शहरों की तरफ क्यों पलायन कर रहे हैं। आज देहातों में पीने के पानी का बहुत अभाव है। मैं हरियाणा प्रदेश से संबंध रखता हूं। लेकिन वहां भी ऐसे बहुत से गांव हैं जहां नीचे का पानी खारा है। कूएं खत्म हो चुके हैं। ग्राउंड वाटर लैवल नीचे चला गया है। इस समस्या से निपटने के लिए जो स्वजलधारा योजना चालू की गई थी, माननीय सदस्य अभी सामने नहीं बैठे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता था कि वह एक ऐसे दल के लोग थे, इस देश में एक ऐसा राज था, जो सिर्फ योजनाएं ही योजनाएं बनाता था, लेकिन उन्हें क्रियान्वित करने की कोशिश इन लोगों ने कभी नहीं की। मेरे संसदीय क्षेत्र में कम से कम पांच-छः ऐसी योजनाएं थीं, जिनमें स्वजलधारा के लिए इन्होंने पंचायतों से पैसा ले लिया, लेकिन केन्द्र सरकार से वह पैसा हरियाणा में नहीं गया। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का स्वजलधारा योजना का जो पैसा बकाया है, वह जल्दी से जल्दी हरियाणा प्रदेश में भिजवाया जाए। जून का महीना आने वाला है, तब लोगों को बहुत प्यास लगती है। यदि ग्रामीण इलाकों के लोगों को पीने का स्वच्छ जल नहीं मिलेगा तो वहां बीमारियां फैल जायेंगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां वाटर सप्लाई का पैसा जल्दी से जल्दी भिजवाया जाए।

18.59 hrs.

(Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair)

मेरा चौथा सुझाव यह है कि जैसे शहरों में कम्युनिटी सैन्टर बनाये जाते हैं, हमारी मांग है कि गांवों में भी ऐसे कम्युनिटी सैन्टर्स बनाए जाएं। गांवों में गरीब किसान, आम किसान तथा ग्रामीण परिवारों की जो शादियां या सामाजिक समारोह होते हैं, ऐसे समारोहों को सम्पन्न करने के लिए आज गांवों में जगह की बहुत कमी है। पहले गांवों में चौपाल होती थीं, लेकिन आज गांवों के लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। हमारी मांग है कि इस पलायन को रोकने के लिए हर गांव में कम्युनिटी सैन्टर बनाया जाए।

मेरा पांचवा सुझाव यह है कि आज गांवों में बिजली की बहुत दिक्कत है। शहर में 18 से 20, 22 घंटे तक बिजली आती है, लेकिन गांवों में जहां पूरे दिन किसान खेतों में काम करके घर पर आता है तो उस वक्त पशुओं का चारा काटने के लिए गांवों में बिजली नहीं होती है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक ऐसी योजना बनाई जाए, हालांकि बिजली का डिपार्टमैन्ट अलग है, परंतु यदि गांवों में बिजली का उचित प्रबंध होगा तो गांवों से शहरों की ओर लोगों का जो पलायन हो रहा है, उसे रोकने में बहुत मजबूती मिलेगी।

इंदिरा आवास योजना में कुछ पैसा बढ़ाया गया है। हरियाणा प्रदेश में किसी भी गरीब हरिजन का घर कच्चा नहीं है। मैं लोक सभा की एस्टिमेट्स कमेटी का सदस्य भी हूं। हम पिछले दिनों आंध्र प्रदेश गए थे। कापार्ट का वहां कुछ कार्यक्रम था और हमने उसका इंस्पैक्शन किया था। जो पैसा दिया जाता है, उसमें कम से कम एक कमरा, एक रसोई, एक बाथरूम, एक बरामदा बने, ताकि एक परिवार तो ठीक तरह से निर्वाह कर सके। इंदिरा आवास योजना का पैसा भी बढ़ाया जाए और जो गरीब लोग हैं उनकी इसके माध्यम से मदद की जाए। माननीय सांसद अभी सामने बैठे नहीं है। उनकी सरकार भी चली गई और उस सरकार के लोग भी चले गए। वे लोग पांच वर्षों तक ग्राम-ग्राम में विकास की चर्चा करते रहे। इंदिरा आवास योजना के तहत जिस तरीके से इन लोगों ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों पर शर्तें रखीं, मैं दावे से कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश का गरीब आदमी भी उसके तहत नहीं आ सकता क्योंकि हरियाणा प्रदेश में आम हरिजन व्यक्ति भी पक्के घर में रहता है, उसके घर में बिजली और पंखे का प्रबंध है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन शर्तों को तोड़ा जाए और हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो गरीब लोग हैं, उन पर ये शर्तें लागू नहीं की जानी चाहिए। सिर्फ यह होना चाहिए कि जो हरिजन हैं, दलित हैं, शोषित हैं, उनकी आय कुछ भी हो, उनको यह सुविधा मिलनी चाहिए।

अब मैं शिक्षा की बात कहना चाहूंगा। हर सरकार कहती है कि शहरों में आबादी बढ़ रही है और गांवों में आबादी घट रही है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि पिछली बार बजट में भी प्राइमरी शिक्षा पर सैस लगाया गया। प्राइमरी शिक्षा का प्रबंध पूर्ण रूप से रोपित किया जाना चाहिए। आज हिन्दुस्तान के देहातों में शिक्षा की बहुत कमी है। स्कूल हैं मगर अध्यापक नहीं हैं। मगर फिर वही बात आती है कि उस पर प्रदेश सरकारों का नियंत्रण है। मैं मानता हूं कि प्रदेश सरकारों का नियंत्रण है लेकिन केन्द्र सरकार से जो पैसा शिक्षा के लिए जाए, उसका उचित तरीके से प्रबंध हो और गांव-गांव में शिक्षा का प्रबंध किया जाए और हर पांच, दस या बीस गांवों पर एक केन्द्रीय विद्यालय खोला जाए ताकि ग्रामीण अंचलों में पैदा हुए बच्चे भी अच्छी शिक्षा हासिल करके जो बच्चे शहरों में पैदा होते हैं, बड़े घरों में पैदा होते हैं, उनकी बराबरी और कंपीटीशन की तैयारी कर सकें।

वाटरशैड डैवलपमैंट स्कीम की बहुत चर्चा चली। यह अच्छी स्कीम थी। मैं किसको बताऊं, वह साथी तो चले गए। वाटरशैड की योजना जब बनाई गई तो हरियाणा प्रदेश में इन्हीं साथियों के सहयोग से एक सरकार चल रही थी, वह बहुत अक्षम सरकार थी। वाटर शैड के पैसे का दुरुपयोग किया गया। कई समितियां बनाई गईं और वे समितियां एक दल विशेष के लोगों के साथ बनाई गईं। वहां के बीडीओ से मिलकर सारे के सारे पैसे का दुरुपयोग किया गया। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले पांच वर्षों में वाटरशैड डैवलपमैंट का जो पैसा हरियाणा प्रदेश में गया है, उसकी विस्तृत रूप से जांच करवाई जाए ताकि यह पता चले कि केन्द्र सरकार के पैसे का सही उपयोग हो रहा है या नहीं।

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

श्री जय प्रकाश : मेरा एक पॉइंट रह गया है। मैं ज्यादा नहीं बोलता।

गांवों में ग्रामीण रोज़गार की चर्चा चली है। हमारी सरकार भी कहती है और यूपीए का कामन मिनिमम प्रोग्राम भी है कि गांवों में रोज़गार उपलब्ध कराएंगे। इस संबंध में मेरा एक सुझाव है। हरियाणा और पूरे देश में बड़े-बड़े गांव हैं। जब शहरी क्षेत्रों में आप गैस की एजेन्सी देते हैं तो गांवों में भी देनी चाहिए। मैं 1990 में पैट्रोलियम मंत्री था। उस समय हमने एक योजना बनाई जो आज भी लागू है लेकिन विस्तार से लागू नहीं है। ऐसे गांवों में जहां की आबादी 15000 से ज्यादा है और जहां गैस के कनैक्शन 500 से ज्यादा हैं, ऐसे हर गांव में गैस की एजेन्सी खोली जाए और बड़े गांवों में पैट्रोल पंप लगाए जाएं ताकि ग्रामीण अंचल में बसने वाले लोगों को शहरी इलाकों के भाइयों के बराबर सहूलियत दी जाए। आज पूरे देश में बहुत से लोग गैस पर खाना बनाना पसंद करते हैं। आज जंगल कम होते जा रहे हैं।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की बात हमारे साथी कह रहे थे। इस योजना के तहत पिछली सरकार ने हरियाणा प्रदेश को पूरा पैसा नहीं दिया। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पैट्रोल और डीजल के ऊपर जितना सैस लगाया है, उसका जितना पैसा हरियाणा प्रदेश का बनता है, वह जल्द से जल्द प्रदेश की सरकारों को दिया जाए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि सरकारें नेशनल हाइवेज़ पर ज्यादा पैसा खर्च करती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्टेट हाइवेज़ हैं या एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़कें हैं, उनके लिए ज्यादा पैसा दिया जाए।

मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, आपको भी धन्यवाद देता हूं और माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आपने जिला स्तर पर समितियां बनाई हैं । मुझसे पहले बोलने वाले सांसदों ने इस तरह की बातें कही हैं ।

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

श्री जय प्रकाश : माननीय मंत्री जी उन बातों पर ध्यान दें । ब्यूरोक्रेट्स नहीं चाहते कि उनके काम पर राजनीतिक लोगों का कोई दखल हो । इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा ।

MR. CHAIRMAN: Shrimati Satheedevi will speak now.

श्री जय प्रकाश : देश और प्रदेश की जिम्मेदारी जन-प्रतिनिधियों की होती है, न कि अफसरशाहों की । अफसरशाहों का काम योजनाओं को कार्यान्वित करने का होता है ।

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record after this. You have taken more time. Please take your seat.

*(Interruptions)** â€¦

---

* Not Recorded.

SHRIMATI P. SATHEEDEVI (BADAGARA): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Demands for Grants of the Ministry of Rural Development.

Sir, it is an undisputed fact that two-thirds of India lives in villages. Right from the year of Independence we were talking about uplifting the rural population and the Government is gradually increasing the annual allocation on economic and social development. But the actual benefit has not yet fully reached the rural people.

Over the last 15 years the condition of the rural masses has deteriorated considerably. The survival of the agricultural labour depends primarily on employment. The Economic Survey for 2004-05 has noted how rural employment has declined from 60 percentage to 57 in just one year. We have been noting all along how the days of work of agricultural labour have come down from 122 in the 1980s to about 72 per year now. This has led to total stagnation of life in rural India. Increase in farm debts and crop failure is the general phenomenon.

Between 1991 and 2001 some 3.30 crore peasants lost their lands and have entered the ranks of landless and migrant labour. Rural unemployment has resulted in increased migration of male and female. There are no official statistics available for this kind of migration in the rural India. The Economic Survey does not even mention it as a social phenomenon to be noted. This problem has to be recognised by the Government. On the one hand, the non-availability of work in rural areas is forcing more and more families to move out in search of some employment. But the availability of jobs in urban sector is also on the downswing. Marginalised sections, especially the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are the most affected and the gender impact of these processes on these communities also should be analysed. It is the womenfolk who are the worst affected by these issues.

19.09 hrs. (Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

Sir, the UPA Government has announced so many proposals of certain schemes to uplift the rural population. The UPA Government's proposal regarding the Rural Employment Guarantee Scheme is well appreciated by the rural population as a whole. The Rural Employment Guarantee Scheme should be designed in such a way to guarantee women's access to work. All the employment generation projects should be provided with a minimum of 40 per cent women beneficiaries. The scheme is now intended to operate in 150 districts. In Kerala, only one district is included in the scheme.

Considering the rural unemployment issue of Kerala, it should be extended to all the districts. Unlike in other States, the educated unemployment rate is more in Kerala. So, a special scheme should be introduced for the educated unemployed people for the States like Kerala.

The recommendation of the Twelfth Finance Commission towards the State of Kerala is not at all satisfactory to solve the problems of rural public.

Mere declaration of schemes is not sufficient. There should be calculated method for implementation of those schemes. The main aim of all the schemes should be the improvement of the status of the rural people below the poverty line. The power to implement and the money to utilise should be provided to the local bodies. Then only there will be effective implementation of these schemes. Only through Government intervention within a pro-poor policy formulation in land reforms this can be done.

Tenancy rights should be protected. Making agriculture viable through proper pricing structure, and credit support are also needed.

With regard to providing minimum number of workdays, it should be at least 180 days for both men and women, by enforcing minimum wages. Adequate food-for-work programme and BPL cards to all agricultural labour families are necessary.

The Government should ensure a properly functioning PDS and the provision of rationed goods at BPL prices to all agricultural families.

Another issue is with regard to the poor agrarian production. Basic infrastructure should be provided for agrarian production. The rural poor with holdings below one hectare of land and the agricultural labourers should be given free electricity. The amounts for schemes like Indira Awas Yojana should be increased. At least a sum of Rs.50,000 should be given per household.

In the case of drinking water, there is only 50 per cent coverage in Kerala. In the Swajaldhara Scheme ten per cent beneficiary contribution is insisted. My humble suggestion is that in the case of SC/ST and people of coastal areas, there may be some exemption from the payment of beneficiary contribution. There should be a provision and availability of safe drinking water in the villages.

Kerala is excluded in the National Health Mission Programme. Though in the previous years, Kerala was considered to be a State where there was an improved situation in the field of health, now the situation has totally changed. The diseases that were considered as wiped out from the society are now spreading in almost all parts of Kerala. So, the amount in regard to health facilities should be increased. There should be some schemes for the old-aged people also.

The rural sanitation is yet another issue. Kerala is a State where the entire western side is covered with sea. Now, for rural sanitation, a very meagre amount is provided. A sum of Rs.500 for the construction of latrine is not sufficient for constructing latrines in the waterlogged and seashore areas of Kerala. So, the amount should be increased.

For the PMGSY Scheme, a sum of Rs.20 crore is provided. That is not at all sufficient, considering the increased demand. So, it should be increased to at least Rs.75 crore. The villages can develop only when we succeed in providing them water, roads and electricity. More funds should be earmarked for this purpose.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

SHRIMATI P. SATHEEDEVI : Sir, I will conclude in a minute.

Now, my State, Kerala, has come forward with the functioning of schemes like, 'Kudambasree Scheme'. Higher assistance is needed for these schemes. Now, the Government has already given proper guidelines and directions for promoting the involvement of the local MPs in the implementation of these programmes. Sir, the rural development solely rests on the efficient Panchayati Raj System. The development of the country has no meaning if our villages remain backward.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

SHRIMATI P. SATHEEDEVI : Sir, for Sarva Shiksha Abhiyan, the amount should be given through local bodies as in the States like Kerala, where schools are run by these local bodies.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please take your seat now.

SHRIMATI P. SATHEEDEVI Sir, I am concluding. So, while supporting the Demands for Grants, I urge upon the Ministry to take initiative in transferring money and power to the local bodies and strengthen the Panchayati Raj System.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should go on record now.

*(Interruptions)*â€¦

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, I want to make a request to all the hon. Members of this House. I have a very long list of speakers. Those hon. Members who wish to lay their speeches on the Table can do so. It will be treated as part of the proceedings. Now, I would request Shri M. Appadurai to speak.

---

* Not Recorded.

*SHRI M. APPADURAI (TENKASI): Mr Deputy Speaker Sir, let me thank you for giving me an opportunity on the Demands for Grants for the Ministry of Rural Development for the year 2005-06. Sir, at the outset I would like to congratulate the UPA Government for seeking to legislate Rural Employment Guarantee Bill with a financial allocation of about Rs 25,000 crore. It is a historical move and I heartily welcome it. In order to successfully implement this scheme there must be monitoring mechanism to oversee the implementation of these schemes and Members of Parliament must be included in such monitoring committees. As a pilot project, 150 districts all over the country have been identified to implement this scheme. I would like to request hon. Minister to reconsider and raise the number of districts identified already. Ours is a country with good number of people living still below the poverty line. The benefits of such pioneering schemes must reach all the poor. So more districts must be covered while you implement this scheme especially in all villages in several districts that are in the drought prone areas. Rural development would be possible only when basic needs are met and basic infrastructure is raised. It is needless to list out the basic needs of the rural poor. Protected drinking water, primary health service, road communication facilities, rural electrification, telecommunication linkages, remunerative prices for the agricultural produce must be ensured to the rural masses. Only then we can usher in prosperity in the lives of rural poor.

I would like to point out to the lacunae in coordinating the centrally evolved and sponsored schemes. More particularly I would like to point out to the schemes evolved by the UPA Government to provide protected drinking water to several remove villages and hamlets. But the present government in Tamil Nadu led by AIADMK supremo Jayalalitha is ignoring the implementation of these need-based schemes. State Government there in Tamil Nadu is delaying the

---

* Translation of the speech originally delivered in Tamil.

implementation of these centrally sponsored and funded schemes. Our hon. Finance Minister has apportioned adequate funds but still the allocated funds are lying unutilised. Tamil Nadu Government is not serious about really helping the rural poor. Apart from ensuring the availability of protected drinking water, the Union Government is keen about taking up land development measures. This would help augment water resources potential. Scientific water management is the need of the hour and a viable mechanism must be in place.

In my Thenkasi Lok Sabha constituency, there is a river called Sitraaru which is more than a brook, stream and a rivulet. During monsoon season enormous amount of water flows through it and wastefully flow into the seas. Even after so many years no viable scheme or project is in sight to harness this water flow. There is no storage facility. If that river is scientifically handled with the construction of small dam like structures as is done in watershed management programmes, it would increase ground water potential. The irony is that such huge amount of water flow through that river that run through a perpetual drought prone area. But still that river runs waste untapped. Such natural resources must be handled with care. If that water resource is rightly managed it could give rise to prosperity in the lives of rural masses who live wide and far. I urge upon the Government to give priority to those schemes that will ensure maximum utilisation of such natural resources.

Today we are implementing schemes that will benefit the rural poor especially the deprived classes like the SC/ST people. Welfare measures like housing are being taken up to benefit people tormented by poverty. Sanitation facilities are provided in the form of latrines. But I am afraid the implementation of such schemes are not properly

monitored. Hence I urge upon the Government to evolve suitable monitoring mechanisms ensuring the participation and active role of Members of Parliament, the elected representatives of the people. Such monitoring Committees with people's representatives will help plug the loopholes and justify further release of funds to such Central schemes that are left with the State Governments for implementation as constitutional scheme of things.

Land Reforms Bill is another need of the hour to ensure betterment in the lives of the rural poor. Tillers of the soil must get rights to own the lands they cultivate. Mahatma Gandhiji said, "land to the tillers and land to the farmers". Those who hold the ploughshare and cultivate the fields must get the land rights. A uniform land reforms Bill is still not in sight. Hence I urge upon this Government to take up land reforms and provide opportunities to the poor agricultural workers to meet with prosperity.

With this I conclude my speech.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bachi Singh Rawat 'Bachda' - not present.

Shri Bapu Hari Chaure. Take only four or five minutes. आठ बजे मंत्री जी ने जवाब देना है।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI BIJOY HANDIQUE): Up to 8 o'clock the discussion will continue and after that the hon. Minister will give the reply.

श्री बापू हरी चौरे (धुले) : उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। महात्मा गांधी जी का सपना था कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना चाहिए, जिसे नजरअंदाज किया गया।â€¦ (व्यवधान) लेकिन राजीव गांधी जी के सपने को दसवीं लोक सभा में साकार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, दसवीं लोकसभा के अन्दर पंचायती राज विधेयक पारित करके जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने का सही ढंग से प्रयास किया गया। आगे जाकर सम्पूर्ण ग्रामीण विकास योजना के माध्यम से सुबह होते ही पेट का सवाल जो गरीब लोग लेकर आते हैं, पेट का विषय लेकर, पेट भरने की चिन्ता लेकर आते हैं। चिन्ता और चिता समान होती है, चिन्ता जिन्दा आदमी को जलाती है और चिता मुर्दे को जलाती है। उस गरीब आदमी को दिलासा देने के लिए सम्पूर्ण ग्रामीण विकास योजना के माध्यम से 22,682 करोड़ रुपये का प्रावधान करके सही दिशा में गरीबों को राहत देने का काम इस सरकार ने किया है, इसलिए यह सरकार धन्यवाद की पात्र है।

ग्रामीण विकास को इसमें तीन भागों में बांटा है, ग्रामीण विकास, पेयजल आपूर्ति और भूमि संसाधन विभाग। ग्रामीण विकास के अन्दर जे.आर.वाई, आई.ए.वाई., एस.जी.आर.वाई. और पी.एम.जी.एस.वाई, सम्पूर्ण ग्रामीण विकास के माध्यम से गरीब आदमी को मजदूरी दिलाने का काम और सही ढंग से ग्रामीण विभाग का विकास करने का काम किया है, मगर जो भी उसमें कार्यान्वयन की पद्धति है, जैसे कि जिला पंचायत के माध्यम से इन तीन विभागों से यह काम किया जाता है। जैसे जिला पंचायत, तालुका पंचायत और ग्राम पंचायत। जिला पंचायत को 20 प्रतिशत, तालुका पंचायत को 30 परसेंट और ग्राम पंचायत को 50 परसेंट के माध्यम से यह काम दिया जाता है। जिला पंचायत का जो प्रेसीडेंट है, उसे चेयरमैन बनाया गया है और जिला परिषद का चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर को सचिव बनाया गया है और उसका कार्यान्वयन जिला पंचायत के माध्यम से होता है। मगर इसमें जिला पंचायत के माध्यम से जब काम होता है और जो काम लिए जाते हैं, उनका जिला पंचायत के माध्यम से काम लेते वक्त जिला परिषद के सदस्य और पंचायत समिति के सदस्यों को विश्वास में लेकर काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अधिकारी मनमाने ढंग से काम लेते हैं, उनका काम करने का जो ढंग होता है, वह अलग तरीके से होता है, कोई किसी को विश्वास में नहीं लेता। जैसे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, अभी-अभी मैं 10-15 दिन पहले, मेरे चुनाव क्षेत्र में सम्पूर्ण ग्रामीण विकास योजना के माध्यम से जो काम चलाये गये हैं, उनका मैंने परीक्षण किया तो मेरी नजर में यह आया कि बिचौलिये तो नहीं हैं, मगर गांव के कुछ ठेकेदारों के बीच में आपने मजदूरों को पकड़कर वह काम किया जा रहा है। कोई बिचौलिया तो हम नहीं देते हैं, मगर बिचौलियों के नाम से किसी गरीब आदमी को ठेका देकर उनके माध्यम से काम किया जाता है। इसमें मेरा एक सुझाव है कि सम्पूर्ण ग्रामीण विकास योजना के माध्यम से जो काम हो रहा है, जैसे जिला परिषद का या जिला पंचायत का जो प्रेसीडेंट अध्यक्ष होता है तो लोकसभा सदस्य को उपाध्यक्ष बनाया जाये। जो काम चयन किये जाते हैं, उसकी फाइल कम से कम लोकसभा सदस्य को देखने को मिले, ताकि लोकसभा सदस्य को सम्पूर्ण ग्रामीण विकास योजना के माध्यम से जो भी काम का कार्यान्वयन हो रहा है, उसके बारे में उसे पता चले। जहां तक कलेक्टर का सम्बन्ध है, अभी आपने जो सह नियंत्रण समिति बनाई है, सतर्कता और निगरानी समिति आपने बनाई है, उसका सचिव आपने कलेक्टर को बनाया है और लोक सभा सदस्य को चेयरमैन बनाया है, मगर वह खाली सतर्कता और निगरानी करता है। काम का चुनाव कलेक्टर नहीं करता है, काम का चयन जिला परिषद में चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर और जिला परिषद के चेयरमैन करते हैं। जिला परिषद के प्रेसीडेंट के दो भाग अलग-अलग तरीके के यहां से गये हैं। इसमें मेरा यह सुझाव है कि जो काम का चयन होता है, जो काम लिए जाते हैं, उसमें सांसद का सहभाग होना चाहिए।

निगरानी करने के लिए सांसद को जिम्मेदारी सौंपी गई है किन्तु काम के चुनाव के लिए जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। पेयजल आपूर्ति करने के लिए जीएसडीए के माध्यम से जगह का चुनाव किया जाता है। कहां कुआं होना चाहिए, इसका चुनाव वे करते हैं, किन्तु वहां पर पानी नहीं मिलता है। मेरा सुझाव है कि सम्पूर्ण ग्रामीण योजना के माध्यम से पहले तालाब बनाना चाहिए तत्पश्चात कुआं बनाना चाहिए। लेकिन पहले कुआं बनाते हैं और बाद में तालाब बनाते हैं। इससे जितना पैसा वहां खर्च होता है, वह बेकार जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मानिटरिंग की पद्धति बहुत बढ़िया है। तीन प्रकार से उसकी मानिटरिंग होती है। ग्रामीण विकास में डीआरडीए उसकी इम्पलीमेंटेशन अथारिटी है। क्लैक्टर निगरानी समिति का सचिव होता है और जिला परिषद का चीफ एक्ज़ीक्यूटिव आफिसर क्रियान्वयन अधिकारी होता है। किन्तु जो कार्य होता है उसकी क्वालिटी की जिम्मेदारी किसकी होती है? क्या उसकी जिम्मेदारी डीआरडीए या चीफ एक्ज़ीक्यूटिव आफिसर के ऊपर है? जब काम में कोई सुधार नहीं होता है या क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो उसकी जिम्मेदारी कानून के मुताबिक किसके ऊपर होगी? मेरा कहना है कि ठीक ढंग से इनकी जिम्मेदारी क्लैक्टर, सीइओ या डीआरडीए के अधिकारी के ऊपर सौंप दी जाए ताकि जब किसी काम में गलती हो तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके, तभी सम्पूर्ण ग्रामीण विकास योजना का पैसा काम में आ पाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Rajiv Ranjan Singh 'Lalan' − not present.

Next Shri Mitrasen Yadav. You have four to five minutes to speak.

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। समय की कमी की वजह से ज़्यादा न बोलते हुए सिर्फ कुछ सुझाव ही देना चाहूंगा।

हमारे माननीय मंत्री जी और राज्य मंत्री जी भी यहां पर बैठे है। ग्रामीण विकास के तहत गांव के गरीब आदमी को जिनके हाथ में कोई कारोबार नहीं है, जिनके पास रहने की सुविधा नहीं है, जिनके पास पीने के पानी की सुविधा नहीं है। उन अभावग्रस्त लोगों को पोषित करने का काम इसमें किया गया है। इसीलिए, केन्द्र सरकार ने इन 80 प्रतिशत पोषित योजनाओं को प्रदेश सरकारों को क्रियान्वयन के लिए दिया है। आज देखने में आ रहा है और पूरे सदन की जो भावना निकल के आयी है, उससे माननीय मंत्री जी और सरकार भी सहमत होगी कि केन्द्र सरकार की जो पोषित योजनाएं हैं और जो धनराशि दी जा रही है, उसका दुरूपयोग हो रहा है। यहां तक कि भारत सरकार की गाइडलाइन का भी दुरूपयोग किया जा रहा है। हम लोगों को निगरानी और सतर्कता समिति का चैयमैन बनाया गया है। किन्तु जिन गांवों में या क्षेत्रों में इन्दिरा आवास के लिए चयन किया गया है, उन्हीं का दोबारा और तिबारा चयन किया गया है। इन योजनाओं की गाइडलाइन के तहत, साठ प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए तीन प्रतिशत फलां के लिए और शेष में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को आवास दिया जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि जितनी योजनाओं में भारत सरकार 80 प्रतिशत पैसा दे रही है और जिन योजनाओं में सरकार का शत-प्रतिशत पैसा है, उनमें केन्द्र सरकार द्वारा सांसदों की कम से कम 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की जाए। बगैर उन सांसदों की निगरानी के ऐसी योजनाओं को लागू न होने दिया जाए। मान लीजिए एक जिले में हर विधायक को दो सौ हैण्डपम्प दिए गए हैं और उस जिले में पांच विधानसभाएं आती है और 1200 हैण्डपम्प हैं।

हम मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि कम से कम सांसदों को एक हजार हैंडपम्प अपने लोक सभा क्षेत्र में लगाने का कोटा निश्चित किया जाए। इसी तरह इंदिरा आवास का भी कोटा निश्चित किया जाए।

हिन्दुस्तान में जो पिछड़े जनपद हैं, उनको कई करोड़ रुपये का खाद्यान देकर आपने लोगों के लिए काम के बदले अनाज देने की योजना लागू की है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जनपद की सतर्कता समिति के चेयरमैन श्री बेनी प्रसाद वर्मा हैं। उस समिति की आज तक कोई बैठक नहीं हुई। 27 करोड़ रुपये में से केवल 2 करोड़ रुपये ही खर्च किये गये तथा बाकी 25 करोड़ रुपये बंदरबाट किये गये। मेरा कहना है कि कृषि मंत्री जी ने जिस प्रकार कुछ जनपदों को जांच करने के लिए सुनिश्चित किया है, उसी प्रकार ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारत सरकार को कुछ जनपदों को सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी ग्रामीण विकास योजनाओं की क्या दुर्दशा हो रही है और वे किस तरीके से लागू की जा रही हैं। हमारा भारत सरकार और गृह मंत्रालय को सुझाव है कि गांव के विकास के लिए, गरीबों को रोजगार देने के लिए, काम के बदले अनाज देने के लिए, उनको रोटी देने के लिए, उनके आवास के लिए, उनको पानी की सुविधा देने के लिए अगर योजनाओं का इतना दुरुपयोग हो रहा है तो सुनिश्चित करके कुछ जनपदों की जांच करानी चाहिए तथा निगरानी और सतर्कता समिति को अपने बजट के लिहाज से, पूरी ताकत से उसमें भागीदारी सुनिश्चित करने की कार्यवाही पूरी करनी चाहिए।

स्वच्छता योजना का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। आप या तो उसे व्यक्तिगत रूप से लोगों को दीजिए या सामूहिक रूप से लागू करें। यदि सामूहिक रूप से लागू करें तो गांव में जो स्वच्छ शौचालय बनाये जायें, जब तक उनकी सफाई करने के लिए कोई कर्मचारी नहीं होगा, देख-रेख के लिए कोई आदमी नहीं होगा तब तक उसका दुरुपयोग होता रहेगा। उसके बाद अगर निजी लोगों को सुविधा देने की बात है, तो चार-पांच हजार रुपये से कम में कोई शौचालय नहीं बनता। इसलिए आप या तो पूरी धनराशि दें या सुलभ शौचालय सामूहिक रूप से उपलब्ध करायें लेकिन तमाशा न कीजिए, योजनाओं का खिलवाड़ न कीजिए। जनपदों में उसके पीछे बंदरबाट न हो, कम से कम इसे रोका जाना चाहिए।

बहुत से लोगों के हाथों में काम नहीं है। आपने जो भूमि सुधार लागू किया, वह कहीं लागू नहीं हुआ है। नयी जमीन को सुधार कर गरीबों में बांटने की जो योजना है, उसका भी कहीं लाभ नहीं मिल रहा है। आपकी इतनी ग्रामीण योजनायें हैं, जिनकी हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं है। हमारा निवेदन है कि कुछ योजनायें ऐसी हैं जो हम निहत्थे लोगों को दे सकते हैं। डेयरी, फिशरीज, पिगरीज, गाय पालन, मुर्गी पालन और बकरी पालन आदि तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनके अन्तर्गत निहत्थे लोगों को ग्रामीण विकास योजनाओं से पोषित कर लाभान्वित कर सकते हैं। आप जिन लोगों को जमीन नहीं दे पा रहे हैं, गांव में रहने वाले लोग या तो दूसरों के यहां मजदूरी करें या उनके पास खेत हों तो वे अपने खेत में काम करें, इसके अलावा गांव में कोई उद्योग नहीं है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्व रोजगार योजना चलाई गयी है, उसे बढ़ाने की कोशिश करें और साथ-साथ उनको स्थायी रोजगार देने के लिए गाय पालन, बकरी पालन, सुअर पालन या और कई योजनाएं हो सकती हैं, इन पर लोगों को कन्सन्ट्रेट किया जाये जिससे भूमिहीन लोग लाभान्वित हो। हमारी मांग है तथा भारत सरकार और ग्रामीण मंत्रालय को सुझाव है कि जो पैसा ग्रामीण विकास के लिए आप देते हैं, उसमें पूरी भागीदारी, सतर्कता और निगरानी समिति को सौंपे और कोटा भी निश्चित करें। आवास का कोटा, हैंडपम्प का कोटा आदि तमाम कोटे कम से कम सदस्यों के जरिये लोगों को दिये जायें।

इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*SHRI M. SHIVANNA (CHAMARAJANAGAR): Mr Deputy Speaker Sir, I thank you for permitting me to speak on the Demands for Grants pertaining to the Ministry of Rural Development for the year 2004-05. My thanks are also due to the hon. Minister for his sincere efforts to ameliorate the problems and to improve lives of the rural people.

India lives in villages. But unfortunately illiteracy, disease, poverty and other maladies have engulfed the rural masses. Unemployment in the rural area is rampant. Many villagers particularly in Karnataka have made it a habit to migrate every year in search of jobs. Now, it is high time for the Centre to find out a permanent solution for the poverty especially in remote villages.

The Antyodaya Anna Yojana will continue and is proposed to be expanded. At present 1.5 crore families are covered. They get food grains at cheaper rates. The Centre propose to enact a new law, a new food for work programme is proposed to be launched in 150 districts classified as most backward and identified as areas in immediate need of such a programme. I hope at least ten districts from Karnataka will find their places in this list of most backward districts. My constituency is one of the most backward districts in the country and it should get all the support by the Centre and then only the villagers can survive.

Boosting agricultural growth through diversification and development of agro-processing is one of the objectives of the National Common Minimum Programme (NCMP). The Prime Minister in his address to the nation on June 24, 2004 promised "new deal" for rural India. This new deal is not only essential for rural development and welfare but

also essential for achieving sustained over all annual growth of 7-8 % and generating employment. The flow of agricultural credit is intended to be doubled in 3 years.

---

* Translation of the speech originally delivered in Kannada.

Indira Awas Yojana (IAY) has been the main instrument to provide housing to SC/STs as well as to the non SC/ST rural poor. A subsidy of upto Rs 10,000 and loan upto Rs 40,000 is provided to eligible households. The total allocation is proposed to be raised to Rs 2,247 crore. Sir, through you I request the hon. Prime Minister and the hon. Minister of Rural Development to increase this amount to at least Rs 3000 crore.

There is abundant milk production in my constituency. Now, this milk is being sent to Mysore and Bangalore. This very old system of milk trade should change. The farmers are not getting support price for their milk which they produce by working very hard. Hence there is urgency to produce milk powder, milk ice cream and other milk products. A number of modern machines are needed for this. In my constituency we have only one chilling centre. This is not enough. Milk product producing factory with all the modern machines must be set up in my constituency without any further delay.

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) is another important programme of the Centre for the rural people. These roads can link all the remote villages and that would enable and encourage marketing trade, business, education and other activities in the villages.

It is unfortunate that even after 57 years of our independence the villages do not have proper toilet facilities. This is a very problematic issue particularly for girls and women.

The Centre has another progressive programme Swajala Dhara through Panchat Raj. This is a very important programme because there is acute shortage of drinking water in Karnataka as it is facing drought situation throughout the State for the last 4 consecutive years. We have dug the ground 400 to 500 feet deep to get water. This is the serious situation. Hence Swajaladhara programme should be given top priority.

Neither there is Sainik school nor a Central school in my constituency Chamarajanagar. I therefore request the Centre to set up one Central school there immediately.

Another important issue is the involvement of MPs in these programmes. The State officials always neglect the MPs. In fact while printing the names in the invitation cards for various programmes our names appear after MLAs and MLCs. Sometimes the local officials like Tahasildar, District Commissioner, etc. will hoist the flag without bothering to invite the local MP. The Centre should take immediate steps in this regard and see that local MPs are involved in all the programmes and functions.

With these words, Sir, I thank you and conclude my speech.

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास की जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स हैं, उनका समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। जो अपनी यूपीए की सरकार है, इसने ग्रामीण विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं हाथ में ले ली हैं। एनडीए के 6 साल में ग्रामीण इलाके का विकास नहीं हुआ है। उससे भी ज्यादा विकास करने का हमारा संकल्प है क्योंकि गांवों का विकास नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा ? गावों के लिए बिजली नहीं मिलेगी तो हमारी सत्ता की गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी ? लोगों की मदद करने के लिए हमारी सरकार सत्ता में आई है लेकिन एक साल में पूरा विकास होना मुश्किल है लेकिन इसके बावजूद भी हमारा कहना यह है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जितने लोग हैं, सन् 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुताबिक 26 प्रतिशत बीपीएल में लोग हैं लेकिन वर्ल्ड बैंक के सर्वे के अनुसार 43 प्रतिशत लोग बीपीएल में हैं। इनके नॉर्म्स को थोड़ा बदलने की आवश्यकता है।

एस.सी. और एस.टी के समाज में बीपीएल के जो लोग हैं, दूसरी जाति के लोगों में भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले काफी लोग हैं, इसलिए जो भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, उनकी हमें ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। बीपीएल के लोगों को अगर ऊपर उठाना है तो बीपीएल की संख्या को नीचे लाने की स्कीम सरकार को बनानी चाहिए। हम सब बातें करते हैं लेकिन सही मायने में यदि गरीबी को हटाना है तो जमीन का बंटवारा, भूमि का आबंटन किया जाना चाहिए। गांवों में जिस भी जाति के जो भूमिहीन लोग हैं चाहे वे किसी भी जाति के लोग हैं, मेरी मांग है कि हरेक फैमिली के पास 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए और उसके लिए भारत सरकार को एक कमीशन बनाने की आवश्यकता है। हरेक आदमी को जिसके पास 50 एकड़ जमीन है, अच्छी बात है लेकिन जिसके पास कोई जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को जमीन देने का प्रोग्राम सरकार को बनाने की आवश्यकता है। इसलिए हमारी सरकार को संकल्प करना चाहिए कि आने वाले 5 वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कम करने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए और बीपीएल के लोगों की शिकायत यह है कि गांवों के विकास की लिस्ट में जिन लोगों का नाम होना चाहिए, ऐसे कई लोग लिस्ट से बाहर हैं। इसीलिए बीपीएल का जो सर्वे है, उसका भी सर्वे होना चाहिए और बीपीएल के जो लोग हैं, ऐसे लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। जहां तक इंदिरा आवास योजना का सवाल है, इसके अन्तर्गत काफी मकान बनाने का संकल्प इस सरकार ने किया है लेकिन उसके लिए अच्छी स्कीम बनाने की आवश्यकता है। कपार्ड की स्कीम है और बाल्मीकि अम्बेडकर योजना भी है। एस.सी. और एस.टी. के लोगों के लिए मकान बने हैं लेकिन आजादी के इतने साल बीतने के बाद भी बीपीएल के जो लोग हैं, उनके पास मकान नहीं हैं। झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को मकान देने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है और हमारी सरकार अच्छी है, दोनों मंत्री भी अच्छे हैं, प्रधान मंत्री साहब भी अच्छे हैं लेकिन अच्छा बोलने से फायदा नहीं है, उनको अच्छा बनने की आवश्यकता है। सही मायने में बीपीएल के लोगों की सरकार को मदद करनी चाहिए।

श्री रघुवंश प्रसाद जी आप बहुत सक्षम मंत्री हैं, लेकिन लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसे देने की जरूरत है। स्कीमों को लागू करने में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसे भी रोकने की जरूरत है ताकि स्कीम के लिए आवंटित पैसा सही काम के लिए खर्च हो सके। ग्रामीण इलाकों में सड़क बनाने की आवश्यकता है, रेल-लाइनों की आवश्यकता है, महिलाओं के लिए शौचालय बनाए जाने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके लिए एक व्यापक सर्वे करवाकर, अपने आने वाले पांच सालों के लिए अच्छा काम करने के लिए स्कीमें बनाएं अन्यथा हमारी हालत भी विपक्ष की तरह हो जाएगी। वैसे हम आपके साथ हैं इसलिए आपकी उनके जैसी हालत नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अठावले जी, ठीक है, आपकी सलाह मंत्री जी ने मान ली है। Now, nothing will go on record.

(Interruptions) â€¦*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri Ravinder Naik Dharavath will speak. You give you suggestions in only three minutes.

श्री रविन्दर नाइक धारावत (वारंगल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ ठोस कार्यक्रमों पर सुझाव देना चाहता हूँ इसलिए कम से कम पांच मिनट तो मिलना ही चाहिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: No. You may speak only for three minutes. मुझे हर हाल में 8 बजे मंत्री जी से रिप्लाई के लिए रिक्वेस्ट करनी है।

---

* Not Recorded.

श्री रविन्दर नाइक धारावत : उपाध्यक्ष जी, हमारी आजादी के 57 साल पूरे हो रहे हैं। हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ कदम उठा रही है, लेकिन उन स्कीमों और उनके लाभों को जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए, वे सुविधाएं उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसे लोगों में एससी, एसटी और पिछड़े वर्गों के लोग शामिल हैं। मैं तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी की तरफ से यहाँ आपके सामने उन तथ्यों को रखना चाहता हूँ जो कि पिछले 57 सालों में सरकार के सामने नहीं आ सके हैं। मैं केवल खानापूर्ति करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन विसंगतियों को सरकार के सामने लाना चाहता हूँ। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं। इस देश में आदिवासी और एससी लोगों की जो बस्तियाँ हैं, जो बंजारा बस्तियाँ हैं, वहाँ सड़क, बिजली, पानी आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। आज हमारे देश में बंजारा समाज कई भागों में बंटा हुआ है और देश में लगभग एक लाख बंजारा ताण्डा हैं जो इस प्रकार की कमी से जूझ रहे हैं। मैं इसके लिए माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूँ। कुछ समय पहले मैंने बंजारा समाज को मकान प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में मंत्री महोदय को एक पत्र लिखा था। जिसके उत्तर में उन्होंने कहा था कि हम समाज के नाम पर आपको घर नहीं दे सकते हैं। महोदय, यह एक समाज नहीं है, लेकिन इनको दस-बारह कम्युनिटीज के नाम से बुलाया जाता है। तेलंगाना क्षेत्र में लगभग 10 हजार बंजारा ताण्डा विपरीत परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे हैं, जहाँ पेयजल, बिजली, सड़क और अन्य सुविधओं की उपलब्धता नहीं है। आज देश में जो बंजारा समाज है, जो आदिवासी है, जो तेलंगाना क्षेत्र में अपने छोटे-छोटे बच्चों को बेचने के लिए मजबूर हैं। यह हालत है इन बंजारा समाजों की।

आज आप रोजगार देने की बात करते हैं। रोजगार वहाँ दिया जाना चाहिए, जहाँ अशान्ति फैली हुई है। हर साल सरकार करोड़ों-अरबों रूपए शान्ति और लॉ एण्ड आर्डर के नाम पर खर्च करती है। लेकिन मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि यह लॉ एण्ड आर्डर प्रॉब्लम नहीं है, यह एक आर्थिक और सामाजिक समस्या है। वहाँ पर लोगों को नौकरी देने की व्यवस्था होनी चाहिए, रोजगार दिलाना चाहिए। महोदय, आपके माध्यम से मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि जो भी बंजारा ताण्डा हैं, उन्हें ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाना चाहिए। आज तक सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। इस सम्बन्ध में मैंने कई राज्य सरकारों को पत्र लिखे हैं। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि आपकी तरफ से राज्य सरकारों को यह लिखा जाना चाहिए कि इन बंजारा ताण्डों को ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाए। इसी के साथ मैं यह मांग करूंगा कि इन बंजारा ताण्डों के विकास के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर उनके लिए ज्यादा बजट प्रावधान दिए जाएं ताकि इनकी उन्नति हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांग पर हो रही चर्चा में भाग लेने का मौका प्रदान किया। ग्रामीण विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए मंत्री महोदय ने इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगें यहां रखी हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हमारे देश की अधिकांश जनता गांवों में रहती है। इसलिए गांवों का विकास करना हमारा प्रमुख कार्य है। हालांकि बजट भाषण के माध्यम से भी विभिन्न योजनाओं सम्बन्ध में घोषणाएं की जाती हैं, तब हम फूले नहीं समाते हैं और हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन जब हम गांव में जाते हैं, वहां हमें असलियत देखने को मिलती है तो उस समय हमारा मन उदास हो जाता है। बहुत सारी योजनाओं की घोषणा यहां से होती है, मैं उनमें और वृद्धि करने की मांग नहीं करना चाहता। लेकिन जिन योजनाओं की घोषणाएं हुई हैं, उन्हें सही तरीके से लागू किया जाए तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति अवश्य सुनिश्चित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए जब हम ग्राम की उन्नति की बात करते हैं तो हमें याद करना चाहिए कि गांव के लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। वहां पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और वहां आने-जाने के लिए रास्तों की व्यवस्था होनी चाहिए। सैल्फ हैल्प ग्रुप के माध्यम से भी हमारे देश में विभिन्न राज्यों में विकास के काम

किए जा रहे हैं। उनकी भूमिका अच्छी है, लेकिन उन्हें प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, क्योंकि उनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। हमारे देश की आबादी में करीब आधी जनसंख्या महिलाओं की है। इसलिए उनकी भी देश और गांवों के विकास में साझेदारी होनी चाहिए। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। सैल्फ हैल्प ग्रुप की मदद करने से ही काम चलने वाला नहीं है। उनके साथ बड़ी युवा शक्ति सीडीओ के रूप में, क्लब के रूप में हमारे गांवों में रहती है। उसे भी विकास कार्यों में लगाया जाए और वे भी इसकी चिंता करें तो एक बहुत बड़ी शक्ति हमारे देश और गांवों को मिल सकेगी। इससे गांवों का और पिछड़े इलाकों का विकास सम्भव हो सकता है। जब उनका सहयोग हमें मिलेगा, तो उसके लिए नेटवर्किंग की आवश्यकता है। जितने भी सैल्फ हैल्प ग्रुप्स, जितने भी एनजीओज़ और क्लब हैं, उनके सदस्यों को आप नेटवर्किंग के माध्यम से एक जगह लाएं। उनकी निगरानी से जिन योजनाओं की घोाणा आप करते हैं, उन्हें सही-सही स्वरूप दिया जा रहा है या नहीं, सही काम गांवों में हो रहा है या नहीं, इसकी देखरेख हम उनके माध्यम से कर सकते हैं। इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपना छोटा सा भााण यहीं समाप्त करता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Dr.Vallabhbhai Kathiria -- not present.

Dr. Arun Kumar Sarma.

DR. ARUN KUMAR SARMA (LAKHIMPUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for allowing me to participate in this discussion on the Demands for Grants of the Ministry of Rural Development. I largely associate with the other hon. Members who mentioned that the elected representatives, namely, the MPs, MLAs, and Members of the *Zila Parishads* and *Panchayats* are not consulted or taken into confidence while finalising the development schemes. This practice is prevailing all over the country. This complaint has to be solved by an amendment of the rules, which are involved in this issue.

As regards discrepancy in implementation of the rural development schemes in Assam, it is my experience that an amount of Rs. 25,000 crore given for the Indira Awas Yojana (IAY) houses in the inaccessible and remote hilly areas is not really logical. I feel that a minimum of Rs. 50,000 crore should be made available for the IAY houses. Otherwise, it becomes a meaningless scheme. I am saying this because it takes more than Rs. 10,000 to transport the housing materials to some of these inaccessible areas. Hence, it is not a very practical work. I hope that the hon. Minister will definitely consider on this particular issue.

Secondly, the hon. Minister -- we are having a very learned and educated Minister -- evaluated the implementation of various rural development schemes in Assam. The implementation is very poor. One of the reasons, which I have found out, is the late sanction of the second instalment by the Central Government. The first instalment goes on time, but the second instalment is sent only in the month of March because the State Government cannot release its share on time. In Assam, the rains start in the month of March itself, and the working months in Assam are not more than five. Therefore, the Rural Development Ministry should tie up with the Finance Department and request the Planning Commission to cut the State's share at the national level itself; it should not be left to the State Governments to release their share.

There is another discrepancy in the implementation of rural development schemes. In Assam, though the rice component under the SGRY Scheme was sanctioned in 2001, it is yet to be released by the FCI to the district headquarters concerned. Lakhimpur and Damoji districts in Assam are considered to be among the most backward districts in India. These two districts have also been selected for the implementation of 'National Food for Work Programme' where the rice component is 75 per cent. Right from 2001 till today, rice under SGRY Scheme has not been delivered by the FCI to these two districts. In such a scenario, how far this 'National Food for Work Programme' will be implemented? I would request the hon. Minister to take stock of this particular problem being faced by these two districts and to ensure that rice is delivered by the FCI on time at the local destinations of the district headquarters concerned.

The hon. Minister may look into the problems being faced by the Self-Help Groups in the implementation of SGSY and other infrastructural problems. Most of the banks which are the lead banks, mainly the UBI which has been designated as a lead bank, have largely failed in fulfilling their obligations. There should be a total review to see which are the banks which have not been complying with the requirements, and they should be blacklisted, and that work should be allotted to another bank. Otherwise, these schemes, in the name of employment creation and in the name of infrastructure development, have become farce as nothing is being generated at the ground level.

Sending of rice is a temporary solution for the unemployment problem, and it is being done at the cost of productivity and work culture. If there is a surplus in certain States, that surplus is being sent to other States. This way, the economic situation of the farmers in those areas is not being helped. They are not actually given any employment. This dumping of surplus rice from one State to another is nothing but a spoon-feeding system. There should be a clear demarcation, so far as these SGRY and National Food for Work Programmes are concerned. The cash component should be at least 75 per cent in case of backward areas.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record now. I now give the floor to Shri Madhu Goud Yaskhi.

(Interruptions) â€¦*

* Not Recorded.

SHRI MADHU GOUD YASKHI (NIZAMABAD): Mr. Deputy-Speaker, Sir, when we are discussing the second most important Demands for Grants, that is, the Demands for Grants of the Ministry of Rural Development, after discussing the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture, it is very unfortunate that the Opposition is not here.

As the villages are heart of the nation, the UPA Government has rightly given the thrust and priority to rural development and rural prosperity by making various programmes of the Central Government more sensible and implementable.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to mention that contrary to the tall claims made by the NDA Government in the past five years, the recent India Development Report spells out the state of food security of the poor, which is a very paltry figure.

Per capita availability of pulses has come down. ...(*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर माननीय सदस्य सहमत हों तो हाऊस का समय आधा घंटा बढ़ा दें ।

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : आप आधा घंटा समय बढ़ा दीजिए फिर मंत्री जी ज्वाब दे देंगे ।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, समय बढ़ा दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाता है ।

SHRI MADHU GOUD YASKHI : During 1999-2003, availability of pulses had come down from 36.5 kilograms to 28.2 kilograms. In the same period, 47 per cent of children in India were malnourished and 74 per cent were anaemic. Thirty-six per cent of married women in the age group of 15- 49 in rural areas suffer from energy deficiency. Fifty-four per cent in the same age group have no access to education. About 50 per cent of pregnant women suffer from micro-nutrient deficiency.

When 72.21 per cent of one billion people are living in 6.38 lakh villages in India, surely the focus of all efforts must be the villages. It is also disheartening to know that five per cent of the villagers do not have pucca houses; 25 per cent have no safe drinking water; 55 per cent have no electricity in their homes; and 85 per cent have no sanitation facilities.

A look at the budgetary provisions shows that allocation on rural sanitation and safe drinking water does not exceed more than two per cent of the total expenditure. There is a shortage of safe drinking water in many parts of the country, and especially so in my District Nizamabad. Three days ago in my District, a young boy of 21 years was crushed to death by a water tanker when he fell off from it while trying to take out some water. There are 922 villages in Nizamabad district and in most of these villages people walk about two kilometres to fetch water.

Agricultural labourers get a daily wage of Rs.25 to Rs.30 for their whole day's work. They have to send their children to work for additional income. How can we expect them to send their children to school under Sarv Shiksha Abhiyan? Even when somebody thinks of availing of a self-employment programme, there is a problem in getting

financial help from the bank. To release Rs.1 lakh as financial aid, they are demanding the youth to deposit of Rs.50,000. That does not make any sense. I would suggest to the hon. Minister to issue clear instructions to the banks that are implementing self-employment schemes to ensure that the schemes are properly implemented and unemployed youth is in a position to take full benefit of those schemes.

It is also important that the Ministry of Rural Development conduct some educating programmes for the rural youth so that they can take advantage of them and start some small-scale businesses in the villages.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI MADHU GOUD YASKHI : I would like to make one last suggestion to the Ministry. The Government allocation to this sector is not enough, we could also tap the NGOs, NRO's the big industrialists and the banks. They do sponsor different sports and other events and conduct Seminars and other programmes. They can be asked to adopt one or more villages. The Rural Development Ministry can start a Corporation. The said Corporation can frame model guidelines for building houses, providing dirnking water and other sanitation facilities.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI MADHU GOUD YASKHI : Special funds should be allocated to the Districts of Telangana area. When we talk of naxal problem there, the biggest cause for that is unemployment and lack of education. Stress should be laid on providing employment or self-employment opportunities to the youth there.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) â€¦*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shrimati Bhavana P. Gawali - Not present.

---

* Not Recorded.

श्री शंखलाल माझी (अकबरपुर) : महोदय, वर् 2004-05 की ग्रामीण विकास की अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं ।

भारत गांवों में बसता है और भारत की खुशहाली खेत-खलिहानों से गुजरती है, यह हम बहुत दिनों से सुनते आए हैं । काफी दिनों से इस तरह से योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा होती हैं और योजनाएं बनती हैं । हम माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं जबकि पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें कहीं हैं, हम भी दो-तीन बातें कहना चाहते हैं ।

हम रोज़गार को बढ़ावा देना चाहते हैं, स्वंय सहायता समूह द्वारा उत्थान करना चाहते हैं, गांवों का विकास करना चाहते हैं । केन्द्र ने योजनायें बनाई हैं, अगर उन पर गहराई से विचार करेंगे तो मालूम होगा कि जो योजनायें यहां से जाती हैं, जब उनके कार्यान्वयन की स्थिति आती है, गांव के स्वंय सहायता समूह बने हैं, केन्द्र द्वारा भेजा गया पैसा उन्हें मिल रहा है या नहीं? जो पैसा यहां से जाता है, बैंकों में उस पैसे को लेने के लिये कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब इस पर विचार होगा, इसके कार्यान्वयन पर अमल किया जायेगा, तभी फैले हुये भ्रटाचार पर रोक लग सकती है, सही लाभार्थी को लाभ मिलेगा और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

उपाध्यक्ष जी, हमारे बहुत से साथियों ने ग्रामीण सड़कों के विकास की बात कही है। यह कार्य (पूरे देश में 3800 से 4300 करोड.) 500 करोड. बजट बढाने मात्र से नही होगा। स्वरोजगार के अवसर देकर, ग्रामीणों को आवास देकर काम के बदले अनाज कार्यक्रम, पेयजल सुविधा देकर प्रदान किये जा सकते हैं जिन्से गांवों का विकास होगा। आज हजारों नौज्वान गांवों से पलायन कर रहे हैं, उनपर रोक लग सकेगी। केवल योजनायें बना देने से काम नहीं चलने वाला है। आज 70 प्रतिशत हमारा हिन्दुस्तान गांवों में बसता है। हमारे गावों के उत्थान के लिये कितनी योजनायें बनाई जा रही हैं? आज उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी निधि का 70 प्रतिशत भाग गांवों के विकास के लिये दिया है। मैं ज्यादा समय न लेकर अपनी बात को गम्भीरता से कहना चाहूंगा कि पूर्वांचल के देवरिया, अम्बेडकर नगर, बस्ती से लेकर बिहार तक के सारे क्षेत्र में प्रतिर्वा बाढ़ आती है जो सभी क्षेत्रों में कहर मचाती है। बाढ़ की रोकथाम के लिये प्रतिर्वा करोड़ों-अरबों रुपया खर्च किया जाता है लेकिन इस सब के बावजूद बाढ़ पर नियंत्रण के लिये कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पाती है। गत 56 साल से बाढ़ को रोकने के लिये कई योजनायें बनाई गई है। हमारे जनपद संत

कबीर नगर, अम्बेडकर नगर में हर साल बाढ़ आती है और हर साल इससे जान-माल की भंयकर बरबादी होती है। पिछली बार भी कई गांवों का कटाव हुआ और कई गांवों का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इन परिस्थितियों से भली-भांति परिचित हैं। वर्ष 1998 में भंयकर बाढ़ आई और उसके बाद वर्ष 2000 में त्राहि-त्राहि मची। इस भंयकर बाढ़ के कारण संत कबीर नगर और अम्बेडकर नगर की सड़कें पूरी तरह से टूट गईं। उन सड़कों की हालत इतनी खस्ता हो गई कि उन पर चलना भी दूभर हो गया। आप ग्रामों की उन्नति का सपना देख रहे हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि पूर्वांचल के जनपदों के लिये एक विशेष पैकेज देकर उन टूटी हुई सड़कों की हालत में सुधार लाने के लिये प्रयत्न किये जायें। मेरा विश्वास है कि इस ओर अवश्य ध्यान दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष जी, मैं ग्रामीण मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर अपने विचार रखने का अवसर दिया।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Dr. M. Jagannath - not present.

Shri Vijoy Krishna - not present.

Shri Nikhil Kumar - you can speak for only three minutes.

SHRI NIKHIL KUMAR (AURANGABAD, BIHAR): Thank you, Sir. As time is short I would confine myself to making some suggestions.

First of all, the Ministry of Rural Development has identified certain roads to be taken up for construction under the Prime Minister's Road Construction Programme.

In my area, there is a total of 400 kilometres of road stretches to be constructed in the next five years, of which in the first phase, three roads have been identified and the IRCON has been given the task to carry out the execution of this work. Unfortunately, for some reason, the IRCON is not proceeding with the work. My request is that IRCON should be asked to take up the work and expedite it.

I seek greater funds allocation under the Indira Awas Yojana and the Shram Vikas Yojana because the present allocation of funds is a pittance. They will not be in a position to meet the requirements. I know, in the current Budget, it may not be possible to increase the allocation. But this should be kept in mind when asking for funds under the Revised Estimates.

The third point is about the Antyodaya Anna Yojana. Nearly 13,000 quintals of food grains come to my *Prakhand* under this Yojana. For seven continuous months, the food grains did not reach a *Prakhand* and the situation has not improved. Some kind of monitoring is needed to see that this very important scheme works efficiently and some kind of responsibility should be fixed as to why the food grains meant for a particular block did not reach there.

The next point is about the Kisan Credit Card. BDOs who certify, who furnish certificates, do so in an incomplete manner, with the result, kisans are made to run from pillar to post for getting their certificates completed. I think, some kind of centralised instruction should be issued to the BDOs as to what kinds of certificates are required. They will be required to clarify that the applicant is only a part of a joint family and what is his share in the total land holding. Unless that is done, the banks will not give any rural credit.

The next suggestion is about the quantum of registration fee for tractors in Bihar. It is very high and as a result, it is some kind of a deterrent to the kissan. It could be considered to bring down this registration fee. I say this because Bihar is currently under the President's rule and, therefore, the Government of India can perhaps advise the Bihar Government to do the needful because if this is brought down substantially, it will be a great impetus to agriculturists.

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं कृषि मंत्रालय की अनुदान की मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। जहां तक मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी ने जिला स्तर पर विजीलैन्स कमेटी बनाकर बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। जो पैसा केन्द्र सरकार से जाता है, ये कमेटियां उसकी मॉनीटरिंग कर सकेंगी और जो खर्चा राज्य सरकार के माध्यम से होता है, वह अन्य स्रोतों में ने लग जाए, उसकी फिजीकल वैरिफिकेशन हो और लोगों को उसके बारे में जानकारी मिल सके। एक बहुत बड़ी चीज एम.पीज. को दी गई है, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, कुम्हारों के लिए जहां एक तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टे काटे जाते हैं, वहां कुम्हारों के लिए कोई जगह उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। माननीय लालू प्रसाद जी ने रेलों में कुल्हड़ आवश्यक कर दिया, लेकिन कुल्हड़ बनाने के लिए मिट्टी कहीं भी उपलब्ध नहीं हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे दिशा-निर्देश जारी किये जाएं कि कुम्हारों के लिए एल.एम.सी. की जो जमीन ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ी हुई है, वह उन्हें उपलब्ध कराई जाए, ताकि कुम्हार बिरादरी को उसका लाभ मिल सके और वे अपनी जीविका चला सकें।

अभी मेरे पूर्व साथी ने हैंड पम्पों की बात कही। मैं कहना चाहता हूं कि इसका सारा माल केन्द्र सरकार से जाता है, इसलिए जिसकी सरकार होती है, वह अपने एम.एल.एज. को बढ़ाने का काम करता है। वहीं एम.पीज. को कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। अगर यह एनेक्सी की उस मीटिंग में मौजूद रहे हों, जिसमें माननीय

मुख्य मंत्री जी भी थे, वहां मैंने 150 हैंड पम्पों की मांग की थी। हमारा ही पैसा है और हमें ही ऑब्लाइज कर रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि हैडपम्प बढ़ाये जाएं। जिस तरह से विधायकगण अपनी स्टेट में अपनी सहभागिता अपनी विधायक निधि से करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उसी तरह से हमें भी यह अधिकार दिया जाए कि जो हमारी एम.पीज. निधि है, हम उससे सहभागिता अदा कर सकें, ताकि हम लोगों के वास्ते हैंड पम्प लगवा सकें। एम.एल.एज. तो अपनी विधायक निधि से पैसा दे सकते हैं, लेकिन एम.पीज. अपनी सांसद निधि से शेयर नहीं दे सकते, इसके कारण हमें बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। पैसा हमारा है।

पैसा हमने उसी में से देना है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सांसद विकास निधि को बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये किया जाए। दिल्ली में दो करोड़ रुपये एमएलए को दिये जाते हैं। दिल्ली में एनडीएमसी और डीडीए द्वारा सौ रुपये गज की जमीन एक लाख रुपये गज में बेची जाती है। उनका तो उद्धार हो जाता है लेकिन हम एमपीज़ को कुछ नहीं मिलता। यूपी में एक एमएलए को भी एक करोड़ रुपये मिलता है, दिल्ली में दो करोड़ रुपये मिलते है। चूंकि यह सरकार भी जुगाड़ पर चल रही है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि देश के अंदर कोई ऐसा जुगाड़ बनाया जाए कि सांसद विकास निधि की राशि बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये की जाए अन्यथा जो दो करोड़ रुपये हैं, उन्हें भी वापस ले लिया जाए। हमारी जान तो बचे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए पुनः मंत्री जी और विभाग का आभार व्यक्त करता हूं और माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि बहुत अच्छा प्रावधान आपने बजट में रखा है। â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर वापस हो गया तो कोई शादी पर भी नहीं बुलाएगा।

...(व्यवधान)

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का बड़ा आभारी हूं, अध्यक्ष महोदय और बीएसी के सभी सदस्यों का आभारी हूं क्योंकि देश के गांवों में बसने वाले करोड़ों गरीब और बेरोज़गार आदमी संसद की ओर ध्यान लगाए रहते हैं कि हमारे विषय में क्या बात हो रही है, क्या सवाल उठ रहे हैं और उनका क्या समाधान हो रहा है। बड़ी कशमकश के बाद इस मांग पर बहस मंजूर की गई और बहस की समाप्ति आज हो रही है।

महोदय, आज की बहस में 20 माननीय सदस्यों ने भाग लिया और बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए। माननीय सदस्यों ने कई मांगें भी की हैं और अच्छे सुझाव भी दिये हैं। सभी सुझाव, मांगें और जो बहुमूल्य प्रश्न जनता के लिए उठाए गए हैं, गांवों और गरीबों के विकास के लिए, बेरोज़गारों के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उठाए गए हैं, सभी के लिए सम्यक विचारोपरांत हम देखेंगे कि कैसे उनका कार्यान्वयन हो सकता है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : सांसद निधि के लिए?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : वह सब बाद में पूछेंगे। अभी कहने दीजिए।

श्री इलियास आज़मी : वह इनके मंत्रालय का मामला नहीं है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : किसी भी मंत्रालय का हो, हम बाद में बताएंगे। अभी हमें अपनी बात कहने दीजिए। â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not disturb the hon. Minister.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, नेशनल कामन मिनिमम प्रोग्राम की प्रशंसा यूएनओ ने भी की है कि यदि इस तरह के कार्यक्रम का सही कार्यान्वयन हो जाए तो हिन्दुस्तान भी कुछ वर्षों में दुनिया का नंबर एक मुल्क बन सकता है। यह क्षमता भी हममें है। प्रधान मंत्री जी का जो थ्रस्ट एरिया है और हम लोगों को बराबर लिखा-पढ़ी में वे कहते हैं कि गरीबों का काम कैसे आगे बढ़े, गांवों में बसने वाले जो बेरोज़गार लोग हैं, उनको कैसे रोज़गार मिले, उनका नारा है, रोज़गार बढ़ाओ कार्यक्रम और फिर ई-गवर्नैन्स के द्वारा सभी का कार्यान्वयन किया जाए।

जो एंप्लायमैंट गारंटी विधेयक लोक सभा में पिछली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, वह स्टैन्डिंग कमेटी में लंबित है। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस संबंध में जिज्ञासा जाहिर की है। मैं चाहता हूं कि इसी सत्र में उसको पारित किया जाए। इसलिए हमने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बार-बार रिमाइंड कराया है। हमने मिलकर स्टैन्डिंग कमेटी के चेयरमैन साहब और स्पीकर साहब से लिखा-पढ़ी करके दो-दो बार रिमाइंड कराया है कि जल्दी से स्टैन्डिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे जिससे इसी सत्र में इसे पारित करने के लिए जो हम कृत-संकल्पित हैं, वह पूरा हो सके और जल्दी से जल्दी एंप्लायमैंट गारंटी स्कीम हम लागू कर सकें। नेशनल कामन मिनमम प्रोग्राम में जो हमारा कमिटमैंट है गरीबों के लिए, गांवों में बसने वाले मेहनतकश मजदूर जो काम करना चाहते हैं, और काम करके जीना चाहते हैं, एक साल में सौ दिनों के रोज़गार की गारंटी, काम के लिए अधिकार की तरफ यह एक बड़ा भारी मजबूत कदम होगा। यह ऐतिहासिक कार्य होगा। इसीलिए इसमें देश भर से सुझाव आए और नेशनल एड्वाइजरी काउंसिल का सुझाव भी आया है। उनके सुझावों को हमने स्वीकार किया है। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आ जाए । हम उसकी प्रतीक्षा में हैं । हम उसके लिए बेचैन हैं । रिपोर्ट जल्दी आए और माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि ग्रामीणमुखी, रोजगारमुखी विधेयक को जल्दी से पास कर दिया जाए ।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : चेरयमैन साहब वह रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं ।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हमने मिल कर चेयरमैन साहब को कहा है । हमने लिखा-पढ़ी भी की है । स्पीकर साहब से भी प्रार्थना की है । माननीय सदस्यों ने भी सवाल उठाया है । उन्हें जानकारी देना हमारा कर्तव्य है। सदन के सामने हम कोई भी बात छिपाना नहीं चाहते हैं । सब बातें खुल कर कहना चाहते हैं, इसलिए हम बराबर ताकीद कर रहे हैं, मुस्तैद हैं कि रोजगार गारंटी कानून आए ।

महोदय, आज ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजट पर चर्चा हो रही है । महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आप अपनी कसौटी पर कस कर देखिए । जब आप कोई काम करते हैं तो क्या उससे किसी गरीब आदमी का भला होता है या नहीं, किसी फटेहाल आदमी का भला होता है या नहीं या उसके फायदे के लिए आप क्या काम कर रहे हैं तो महात्मा गांधी जी ने हमें लिटम्सटैस्ट का उपदेश दिया था। गाँव का, गरीब का विकास करने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, क्या नीति अपना रहे हैं और क्या कार्यक्रम अपनाते हैं । वह लिटमस प्रपत्र है इसलिए हमारी प्राथमिकताएं गांव और गरीब है । जहां हम देखते हैं कि गांव नहीं हैं, गरीब नहीं हैं, वहां किसी योजना को हम लोग मान्यता देने के लिए तैयार नहीं हैं । इसलिए गांधी, गांव और गरीब तीनों को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं । केवल जुबानी भाषण देने से नहीं, केवल ब्यानबाजी करने में नहीं, महोदय हम नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का कार्यान्वयन पर विश्वास करते हैं । जो बजट उपबंध हुआ है इससे पहले एनडीए की सरकार भी कभी-कभी गांव और गरीब की चर्चा करती थी लेकिन केवल चर्चा, उनके बजट में हजार-डेढ़ हजार, दो हजार करोड़ रुपए का प्रावधान होता था जैसे गरीब की

कोई समस्या ही नहीं है । गांव की कोई समस्या ही नहीं है । यही बढ़ोतरी होती थी लेकिन इस बार 50 फीसदी वृद्धि हुई है । उनका बजट 16 हजार करोड़ रुपए का वर्ा 2004-05 से पहले था । उसके बाद बढ़ कर 18 हजार करोड़ रुपए हो गया । महोदय, इस बार बजट में 24 हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हमने की है । लगभग 50 फीसदी, डेढ़ गुना बजट बढ़ाया है और बजट को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए माननीय सदस्यों ने मांग की है । उन्होंने हमको ताकत दी है, हमें समर्थन दिया है । मैं समझता हूं कि गांव और गरीब उनकी प्राथमिकताएं हैं । जो गांव से चुन कर आते हैं जो अपनी आंखों से देखते हैं कि गांव में क्या-क्या समस्याएं हैं उनके लिए बजट उपबंध में बढ़ोतरी करने का हमारा और भी प्रयास है । प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 71 परसेंट बढ़ोतरी हुई है । जहां 2468 करोड़ रुपए का बजट उपबंध था वह बढ़ कर 4200 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है लेकिन उससे भी काम चलने वाला नहीं है । वर्ा 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की गई । उस समय उन्होंने अनुमान लगाया था कि 60 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे लेकिन वह आकलन एकदम गलत था । अभी उसका आकलन किया गया है जिसमें उसका खर्च 60 हजार करोड़ रुपए नहीं, बल्कि उससे दुगुना है । उन रुपयों से भी काम नहीं चलेगा । एक लाख बत्तीस हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे तब देश में 500 की आबादी से अधिक वाले गांवों को हम रूरल एरियाज से जोड़ सकेंगे । बजट में 16 लाख 32 हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी इसलिए हुई है लेकिन फिर भी हम संतुट नहीं हैं । वित्त मंत्री जी ने बड़ी भारी एडवेंचर स्कीम भारत निर्माण योजना की घोाणा की है । भारत निर्माण में 6-6 उपबंध हैं । तीन उपबंध हमसे संबंधित हैं । ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित हैं । उसमें नम्बर एक उन्होंने कहा कि 2009 तक कम-से-कम एक हजार की आबादी वाले गांव को निश्चित रूप से सड़क से जोड़ देंगे । उसके लिए जहां 4200 करोड़ रुपए का उपबंध हुआ है उसके लिए हमको 9 हजार करोड़ रुपए सालाना चाहिए । तब हम एक हजार की आबादी वाले गांवों को आपस में जोड़ सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट उपबंध में तो बढ़ोत्तरी हुई ही है। इसके बावजूद हमने वर्ल्ड बैंक और एशियन डैललपमेंट बैंक से, इंटरनैशनल फंडिंग से भी बजट में बढ़ोत्तरी और खर्चे का प्रबन्ध किया है। लोगों ने जहां-तहां चर्चा में कहा कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना सो गई है, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर हमारी सरकार का जोर नहीं है या सुस्त पड़ गई है। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा बिलकुल नहीं है। हमने इसके लिए पहले से, इस वर्ा बजट में 71 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की है। मैं समझ नहीं पाया कि और कैसा जोर होता है। इस हेतु हमने हर तरफ से धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने की कोशिश की है। एशियन वर्ल्ड बैंक से राशि का प्रबन्ध कर रहे हैं, लिवरेज डॉमेस्टिक फंडिंग से व्यवस्था कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल फायनेंस को लिवरेज कर के हम कैबीनेट में प्रस्ताव ले गए हैं। उससे 10-20 वर्ा आगे तक राज्यों को जो हिस्सा मिलना है, उस हिस्से के बदले, अभी उस राशि को खर्च करने की व्यवस्था हम कर रहे हैं।

महोदय, देश में रूरल रोड्स कुल 33 हजार किलोमीटर लम्बाई की हैं, 58 हजार किलोमीटर नैशनल हाइवे की सड़कें हैं, सवा लाख किलोमीटर स्टेट हाइवे की सड़कें हैं, सवा तीन लाख किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट रोड हैं और 27 लाख किलोमीटर रूरल रोड हैं। रूरल रोड ग्रामीण क्षेत्र की जीवन रेखाएं हैं। जैसे शरीर की प्रत्येक नस में खून का संचालन होता है और शरीर तभी तक शरीर है जब तक कि नस-नस में खून दौड़ रहा है और उसे नस-नस में दौड़ना चाहिए। उसी तरह से देश की व्यवस्था ठीक प्रकार से चलाने के लिए ग्रामों में सड़कों का जाल बिछाने की जरूरत है, तभी ग्रामों का विकास हो सकता है। नैशनल हाइवे हो जाए, वह चार लेन का हो जाए, छः लेन का हो जाए, वर्ल्ड क्लास हो जाए, लेकिन रूरल रोड, गांव की कच्ची सड़क ही बनी रहे, उस पर बैलगाड़ी चलती रहे। उससे देश का समग्र विकास नहीं हो सकता है। इसलिए रूरल रोड्स पर प्रथम बार जोर लगाया गया है।

महोदय, पहले इंडियन रोड कांग्रेस थी, उसमें भी रूरल रोड्स की अहमियत नहीं थी। नैशनल हाइवे की बातें होती थीं और पी.डब्ल्यू.डी. तक ही बातें होकर रह जाती थीं, लेकिन अब इंडियन रोड कांग्रेस में भी रूरल रोड्स का बोलबाला है। हमने रूरल रोड को विकसित करने के लिए एक रूरल रोड्स विजन 2025 तैयार किया है। रूरल रोड का काम उसके तहत आने वाला है। देश का नक्शा लोगों को मालूम होना चाहिए और यह तभी हो सकता है जब गांवों की सड़कें सुधरें। सभी जानकार बताते हैं कि जब तक यातायात और कम्युनिकेशन का विकास नहीं होगा, तब तक किसी भी एरिया का विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए रूरल रोड्स का एक बड़ा भारी कार्यक्रम तैयार किया गया है। रूरल रोड बनाते समय उसकी गुणवत्ता और रोड बनाने वालों का चयन कैसे किया जाएगा, वह मैं आगे बताऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी, एक मिनिट के लिए आप स्थान ग्रहण कीजिए।

माननीय सदस्य, क्या हाउस की अनुमति है कि वर्ा 2005-2006 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंणाधीन अनुदानों की मांगें जब तक पारित नहीं हो जाती हैं, तब तक समय बढ़ाया जाए ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, रूरल सैनीटेशन के लिए पिछले वर्ा 400 करोड़ रुपए का सालाना बजट था जिसे हमने 75 प्रतिशत बढ़ाकर, इस वर्ा 700 करोड़ रुपए किया है और उससे भी हमारा काम चलने वाला नहीं है। टोटल सैनीटेशन कैम्पेन अभी तक 400 से अधिक जिलों में लागू हुआ है। हम उसे बढ़ाकर 600 जिलों में लागू करना चाहते हैं, जिससे घर-घर पानी-पखाने की, शौचालय की व्यवस्था हो जाए। टोटल सैनीटेशन कैम्पेन के अन्तर्गत हमारा उद्देश्य है कि घर-घर शौचालय बने। हमने हिसाब लगाकर देखा है, करेंट आंकड़ों के अनुसार 100 परिवारों पर 30 परिवारों में शौचालय का प्रबन्ध है। देश में 70 प्रतिशत परिवार अभी भी ऐसे हैं जिनके लोग, सड़कों पर, खेतों में, बाड़ी में झाड़ी में शौच करते हैं। यह हमारे लिए कलंक की बात है और चुनौती है। अभी-अभी हरियाणा के श्री जय प्रकाश अपने भााण में हरियाणा के बारे में कह रहे थे। हमने हरियाणा के आंकड़े देखे हैं। इस समय वे यहां नहीं बैठे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : पंजाब को भी जोड़ लीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : जी हां। हरियाणा में 70 प्रतिशत परिवारों में टी.वी. है, लेकिन पानी-पखाना केवल 40 प्रतिशत परिवारों में ही है। टी.वी. है, लेकिन शौचालय नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो सक्षम हैं, वे भी पानी-पखाना घर में नहीं बनाते हैं। इसलिए लोगों में सफाई के प्रति जागरुकता पैदा करने की आवश्यकता है। संपूर्ण ग्रामीण स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों में जागरुकता पैदा करना जरूरी है। कुछ लोग पानी के शौचालय बनाने में सक्षम हैं, लेकिन अवेयरनैस नहीं होने के कारण उनमें पानी-पखाने के बारे में जागरुकता नहीं होने के कारण वे नहीं बना पाए।

इसलिए जो गरीब आदमी है, उनकी सहायता केन्द्र सरकार से होगी। उसमें राज्य सरकार का भी हिस्सा है, उनका कुछ अपना भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उसमें हम और बढ़ोत्तरी के लिए विचार कर रहे हैं। वर्ा 1999 के मूल्य के आधार पर यह तय किया गया था, उसमें हमने कहा कि जब सभी में बढ़ोत्तरी हुई है तो इसमें भी हम राशि बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद कुल 14 योजनाएं ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लागू की जा रही है। योजना नम्बर वन - वेज़ एम्प्लायमेंट की योजना। लोगों को काम देकर रोजगार मिले, जिससे उनकी आमदनी हो और वे अपनी जीविका चला सके, उसमें संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है। यह मांग की गई है कि पंचायतों को राशि दी जाए। सीधे डीआरडीए में यहां से राशि जाती है और वहां से 15 दिनों में 20 प्रतिशत राशि जिला पंचायत परिाद में जाती है, 30 प्रतिशत राशि प्रखंड पंचायत परिाद में जाती है और 50 फीसदी राशि ग्राम पंचायतों में जाती है, जो उनके द्वारा खर्च होती है। यह 50 फीसदी राशि ग्राम पंचायतों में जाती है, उसकी आधी राशि अनुसूचित जाति, जनजाति ऐरियाज़ में खर्च करनी है और जिला परिाद में जो राशि जाती है, उसकी साढ़े 22 प्रतिशत, और प्रखंड पंचायत समिति में जो राशि जाती है, उसकी साढ़े 12 प्रतिशत, Individual beneficiaries to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Families, इस तरह की स्कीम दुनिया में कहीं नहीं है। उन्हें सौ प्रतिशत सब्सिडी जीविका देकर, इनकम जेनरेटिंग असेट्स देकर गरीबी रेखा के ऊपर लाया जा सकता है। हम उनके अनाज के लिए 700

करोड़ रुपए का खर्च करते हैं। माननीय सदस्यों ने जो साढ़े 22 प्रतिशत का सवाल उठाया है, उसमें हेरा-फेरी की भी शिकायत की है, मैं उसका भी इलाज बता रहा हूं। हमने उस पर क्या कार्यवाहियां की हैं, वह भी मैं आपको बता रहा हूं। योजना नम्बर दो - वेज़ एम्प्लायमेंट, काम के लिए भोजन योजना। हम जो नेशनल एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम लागू करने जा रहे हैं, जो कानून बनाना है, उसके पहले हमने प्रयोग के रूप में देश के डेढ़ सौ जिलों का चयन किया है, उसमें 2020 करोड़ का पिछले साल और 20 लाख टन अनाज का प्रावधान किया है और इस बार छः हजार करोड़ रुपए और एक लाख टन अनाज का प्रावधान किया है, जिससे कि अनाज भी जाए और राशि भी जाए तथा कहीं भी लोगों का पलायन न हो, गावों में ही लोगों को रोजगार मिले। गांवों में रोजगार मिले, काम के लिए भोजन योजना, और उन्हें कुछ नकद भी मिले, अनाज भी मिले और राशि भी मिले, जिससे वे भुखमरी से मुकाबला कर सकें और जीवित रह सकें ताकि भुखमरी का संकट न हो। इसलिए काम के लिए भोजन योजना में भी कहा गया है। माननीय सदस्यों ने निगरानी का सवाल उठाया है और कहा कि वहां ठीक से खर्च नहीं हो रहा है, वहां बढ़िया से निगरानी नहीं है। इसके लिए मैंने सभी राज्यों की अलग-अलग बैठक करके भी बहस की है। सभी राज्यों, विशेकर दो-तीन राज्यों को मिला कर माननीय सदस्यों को हमने कट दिया है, बुलाया है और सब कागज-पत्र दिया है कि कहं क्या खर्च होता है, क्या बजट उपबंध हैं। क्या जिले में जो पैसा गया, उसकी निगरानी करने का काम माननीय सदस्यों का है, क्योंकि उन्हें जिला निगरानी और सतर्कता कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है और उस निगरानी समिति का सैक्रेट्री जिला मजिस्ट्रेट को बनाया गया है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उन्हें पावर नहीं दी है।â€¦ (व्यवधान)

SHRI M. APPADURAI (TENKASI): It is not working in Tamil Nadu.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं आपको इस बारे में बताता हूं कि इन सारी योजनाओं का कार्यान्वयन पंचायत राज अथवा राज्य सरकार के द्वारा होता है, सीधे यहां से कोई कार्यान्वियन नहीं होता, यहां से राशि का उपबंध होता है।

हम निगरानी करते हैं कि किसी राज्य का हिस्सा न कटे, क्यों खर्च नहीं किया, क्यों हिसाब नहीं दिया, वहां उनके मुख्यमंत्री से, उनके मंत्री से, अधिकारीगण से ताकीद करके, लिखा-पढ़ी करके, फोन करके, अपने आफिसर भेजकर मैं मुस्तैदी करता हूं कि किसी का हिस्सा न कटे। यह निगरानी करने का काम, ऊपर से पैसा भेजने का और देखने का काम है, लेकिन राज्य सरकारों के सहयोग के बिना कोई योजना बहुत सफल नहीं हो सकती, पंचायती राज के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती। सभी की उसमें भागीदारी है, अब उसमें डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस एण्ड मोनेटरिंग कमेटी की माननीय सदस्यों ने ज़बरदस्त मांग की थी, यहां सदन में पहले जोरदार अपील हुई थी कि इस तरह की कमेटी बनाई जाये और एम.पी. साहब लोगों को अधिकार दिया जाये, उन्हें सहभागिता दी जाये। लेकिन अब कुछ राज्य सरकारों को उसे मानने में कठिनाई होती है, लिखा-पढ़ी में भी हम लगे हैं कि सब राज्य सरकारें इसमें सहयोग करें और देखें कि सरजमीं पर ठीक खर्चा हो और उसमें स्ट्रिक्ट विजिलेंस किया जाये। इसके लिए हमने जनता को भागीदारी भी की है, जो सम्पूर्ण ग्रामीण विकास योजनाएं जितनी भी बनेंगी और जो फूड फॉर वर्क की योजनाओं की जितनी मंजूरी और कार्यान्वयन होगा, प्रत्येक योजना में पांच से नौ व्यक्तियों की, उसी के लाभार्थियों की समिति बनेगी और वह समिति के लोग निगरानी करेंगे, उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता रखी जायेगी कि उस पारदर्शिता से आम लोग जान सकें कि क्या एस्टीमेट है, क्या राशि आई है, क्या काम होना है, सही ढंग से कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं, मजदूरों को मजदूरी या अनाज मिल रहा है या नहीं। आम लोगों की भी भागीदारी, लाभार्थियों की भागीदारी उसमें दी गई है। यह भी कहा गया है कि उस मौहल्ले में कोई रिटायर्ड पर्सोनेल, कोई मिलिट्री आर्मी या कोई अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस का सिपाही, मास्टर रिटायर होकर बाहर आये हैं तो उसमें उनको भी रखा जाये, जो देखभाल कर सकें। इसलिए हर स्तर पर निगरानी की व्यवस्था की गई है। स्ट्रिक्ट विजिलेंस का हमारा मेण्डेट है। नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में उसे ठीक से, सख्ती से लागू किया जायेगा। नहीं तो दिल्ली में बड़ा भारी एण्टी रूरल का और एण्टी पुअर की बड़ी भारी लॉबी है, गरीब और गांव के दुश्मन यहां बहुत जहां-तहां होशियार बनते हैं, वे बराबर बोल देते हैं, राजीव गांधी ने कहा था, पैसा गांव में नहीं जाता है। सीधे मना नहीं करते हैं, गांव में पैसा नहीं जाये, गरीब के पास पैसा नहीं जाये, वे सीधे मना नहीं करेंगे, बोलेगा यहां से गांव में पैसा नहीं जाता है, राजीव गांधी ने कहा था, 15 पैसा जाता है, उसे ले जाने का काम किसका है और सही ढंग से देखने का काम उसका भगवान आकर करेगा कि हम लोग जो इलैक्टिड रिप्रेजेण्टेटिव हैं, जो अधिकारी राज्य सरकार और भारत सरकार, जागरुक लोग, समाजसेवी, सब लोग मिलकर उसको देखें कि सही ढंग से उसकी निगरानी हो और सही ढंग से खर्चा हो, लेकिन गांव में विकास का पैसा जाने से यहां लोगों को कुछ देह में खुजलाहट होने लगती है, यह मैंने महसूस किया है। इसीलिए हम उसमें जनमत, लोकमत बनाना चाहते हैं कि गांव की उपेक्षा और गरीब की उपेक्षा और उनका स्वर में कोई कमी और उनकी आवाज को कोई दबा नहीं सके। करोड़ों गांवों के जो फटेहाल लोग हैं, वे ताकते रहते हैं, हमारे लिए कम हो हो रहा है, इसीलिए उसको कराना है और करना है।

योजना नम्बर तीन - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में माननीय सदस्य कहते हैं कि उनकी उपेक्षा होती है। उनकी उपेक्षा का प्रावधान नहीं है, हमारे माननीय सदस्य जिला परिद में लिखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को लिखेंगे कि इस सड़क की मैं अनुशंसा करता हूं। या तो कमेटी में बैठेंगे, जाएंगे, जिला परिद में भी वे सदस्य हैं। लेकिन माननीय सदस्यों को कठिनाई होती है, वहां बाकी सब सदस्य एम.पी. के खिलाफ मिल जाते हैं, इसलिए कठनाई होती है। फिर भी प्रावधान है कि ये अपनी अनुशंसा भेज दें। जिला परिद और स्टेट गवर्नमेंट अगर उस अनुशंसा को नहीं मानेगी तो उनको बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं मानेगी। यदि क्राइटीरिया में आता है, यदि एक हजार से ज्यादा आबादी का टोला है, हैबीटेशन है और हमारे एम.पी. लिखकर देते हैं तो उनको मानना पड़ेगा, नहीं तो हम अपनी तरफ से उसमें सड़क को जोड़ देंगे। लेकिन इसमें माननीय सदस्यों को भी थोड़ा एलर्ट रहने की ज़रूरत है। हो सकता है, फैडरल स्ट्रक्चर है, केन्द्र राज्य सम्बन्ध को लेकर चलना है, पंचीयती राज को भी लेकर चलना है, इसलिए कोआर्डीनेट करने के लिए यह जरूरी है। लेकिन यह भी है कि माननीय सदस्यों से उसका शिलान्यास, उद्घाटन करवाया जाये।

यह भी निर्देश दिया हुआ है लेकिन उसका कहीं-कहीं कार्यान्वियन नहीं हो पाता है । हम लोगों के नोटिस में ये बातें आती हैं तो हम उस पर सख्त कार्यवाही करते हैं ।

कुँवर मान्वेन्द्र सिंह : माननीय मंत्री जी जिस जिला परिद की बात कर रहे हैं मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र में एक सड़क के निर्माण के लिए शिलापूजन करवाया गया, शिला भी स्थापित की गई, किंतु पूजा करने के पश्चात सड़क किसी दूसरी जगह बनवा दी गई । मैंने राज्य मंत्री जी और आपको भी पत्र लिखा था । राज्य मंत्री जी ने कहा कि यह सड़क यहां नहीं बनेगी । मैंने आपको भी लिखा था लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा बहुत जगहों पर होता है ।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आप इन बातों को नोट करके रखिए, मुझे बाद में बता दीजिएगा। बीच में टोकाटाकी से मुझे असुविधा होती है।

योजना नम्बर चार - पीने के पानी से संबंधित है। हमारा मेंडेट है, गांव के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाना। केवल पानी नहीं बल्कि शुद्ध पानी उपलब्ध करवाना है। पानी की गुणवत्ता का भी बड़ा भारी असर होता है। पचास फीसदी बीमारियां पानी से ही होती हैं।â€¦ (व्यवधान)

श्री जी. वेंकटस्वामी (पेद्दापल्ली) : मैंने करीम नगर के लिए पानी की डिमान्ड की थी। मेरे क्षेत्र में लोग बिना पानी के मर रहे हैं।â€¦ (व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की समस्या भारत निर्माण का दूसरा हिस्सा है और दूसरा हिस्सा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है। 5920 हैबिटेशन टालें ऐसी हैं जहां पर अभी भी पानी की उपलब्धता नहीं है। 69 हजार टाले ऐसे हैं, जो पार्शली कवर्ड हैं। इसका मतलब यह है कि हमको देहात में कम से कम 40 लीटर पानी एक व्यक्ति पर चाहिए। वह भी कम है। राट्रपति जी बराबर हमको निर्देश देते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं और कहते हैं कि पूरी योजना बनाइए। पूरी योजना मतलब, शहरी सुविधा गांव के लोगों को भी दी जाए। शहर में हम देखते हैं कि पावभर पेशाब लोग करते हैं और उसके लिए 15 लीटर

पानी खराब करते हैं। पखाने के लिए 30 लीटर, नहाने में सौ लीटर खर्च करते हैं। एक आदमी शहर में तीन सौ से चार सौ लीटर पानी खर्च करता है। हमारे गांव में अभी भी 40 लीटर पानी उपलब्ध नहीं है। 40 लीटर पानी में जानवर भी पानी पीता है, उसी में कपड़ा और नहाना इत्यादि और उसी में पीने का पानी है। कितना बड़ा फर्क है शहर और गांव में। गांव में पानी भी हम उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। अभी तक केवल 40 लीटर पानी ही रखा गया है। शहरी सुविधा गांवों में कैसे दी जाएगी? शहरों के बाथरूम में ठण्डा, गर्म और मध्यम पानी के लिए अलग-अलग टैप होता है। किन्तु गांव में हजार आदमी में एक टैप भी नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? बराबर की सुविधाओं में जो दखलांदाजी है, ताकतवर लोगों की, सम्पन्न लोगों की, इसको नहीं चलने दिया जाएगा। गांव के लोगों को भी शुद्ध और पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाना पड़ेगा। इसीलिए बजट के आबंटन में वृद्धि की गई है। अशुद्ध पानी की भी समस्या है। बंगाल के आठ जिले आर्सेनिक की समस्या से पीड़ित हैं जिनमें मालदा, मुर्शिदाबाद और 24 परगना इत्यादि हैं, जो गंगा के किनारे हैं। आंध प्रदेश के नालगोंडा और करीमनगर इत्यादि जिले भी पीड़ित हैं। राजस्थान भी इस समस्या से ग्रस्त है।

हमने स्थल निरीक्षण किया है, जाकर देखा है। हमारे सामने चुनौती है कि गरीब लोग जो आर्सेनिक युक्त पानी पीते हैं, उससे चर्म रोग हो जाते हैं और कैंसर की बीमारी हो जाती है जिससे वे मर जाते हैं। जिस गांव में आर्सेनिक युक्त है, उस गांव में कोई शादी-ब्याह नहीं करेगा। फ्लोराइड युक्त पानी आंध्र प्रदेश, राजस्थान और देश के कुछ और इलाकों में है। उस पानी के इस्तेमाल से हड्डी टेढ़ी हो जाती है। गरीब लोग यह नहीं जानते कि कैसा पानी है। वे अशुद्ध जल पीकर बीमार हो जाते हैं। 2 लाख 16 हजार के लगभग हैबीटेशन्स ऐसी हैं, जहां कहीं फ्लोराइड है, कहीं आर्सेनिक है, कहीं नाइट्रेट है, कहीं लोहा है, कहीं बैक्टीरियल कन्टैमीनेशन है या बायोलॉजीकल कन्टैमीनेशन है, कहीं खारा पानी है। समुद्र के किनारे कोस्टल इलाके में नमकीन क्षारीय पानी होता है।â€¦ (व्यवधान) राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर मिशन चला था, जिसके

अंतर्गत Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) योजना और स्वजल धारा योजना चलाई जा रही है। उसमें 10 प्रतिशत हिस्सा जनता को देना है और 90 फीसदी भारत सरकार देगी। मैं उसे भी देख रहा हूं। उसकी राशि ठीक से खर्च नहीं हो रही है। लेकिन जहां कहीं जनता द्वारा 10 प्रतिशत राशि जमा कर दी गई है, वहां उस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।â€¦ (व्यवधान) राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर मिशन में एक सबमिशन प्रोग्राम था। उसे एनडीए सरकार ने धूल की टोकरी में डाल दिया था। हमने उसे निकाल लिया है। उसमें यह था कि जिस इलाके में पानी की उपलब्धता नहीं है, 200 करोड़, 500 करोड़, 1,000 करोड़ की योजना है, जो राज्यों को रूटिन में पैसा देते हैं, उनसे उसकी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए अलग से राज्य सरकार प्रोजैक्ट बनाए और उसमें केन्द्र सरकार मदद करे। हमने उसे रिवाइव किया है। योजना आयोग ने सहमति दे दी है। वह ईएफसी में गया है। जब वहां से आ जाएगा, तब उसे कैबिनेट में ले जाएंगे। माननीय सदस्य श्री वेंकट्स्वामी रूरल डैवलपमैंट मंत्री रहे हैं। वे बराबर तकाजा करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे ही वह ईएफसी से मंजूर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या देश के किसी हिस्से में पानी की कमी हो, पानी अशुद्ध हो, उन सभी योजनाओं का कार्यान्वयन हम कराने जा रहे हैं। हमारा संकल्प है कि पीने का पानी शुद्ध हो। टोटल सैनीटेशन कैम्पेन लागू किया जाए। कम्प्यूटराइजेशन ऑफ टोटल लैंड रिकार्ड के लिए खर्च देना - गांव के लोग अपने खाते, नक्शे, दस्तावेज आदि के सबूत लेने के लिए कोर्ट में जाते हैं लेकिन उनको महीनों तक कागज नहीं मिलते।â€¦ (व्यवधान)

श्री इलियास आज़मी : मुख्य मंत्री ने विधान सभा में दो सौ हैंडपम्प बांट दिए। आप भी उसी तरह बांट दीजिए।â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ilyas Azmi, please do not disturb him.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हमें 14 योजनाओं के बारे में बताना है, इसलिए संक्षेप में बताएंगे।

कम्प्यूटराइजेशन ऑफ टोटल लैंड रिकार्ड - गरीब लोगâ€¦ (व्यवधान)

SHRI G. VENKATASWAMY : Sir, I am on a point of clarification. मंत्री जी ने ऐनाउंस किया है कि 340 करोड़ और 370 करोड़ की ड्रिंकिंग वाटर स्कीम जो आई है, उसे आप कब दे रहे हैं, यह बताइए।â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Venkataswamy, please sit down.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हमने बता दिया है कि प्रस्ताव ईएफसी में मंजूरी के लिए गया है। जब वहां से आ जाएगा तो उसे कैबिनेट में ले जाएंगे। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, उसके समय का वचन हम नहीं देंगे, लेकिन सही जानकारी दे देंगे। â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Azmi, please do not disturb him.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : टोटल सैनीटेशन कैम्पेन - पानी और पाखाना के बारे में निश्चय किया गया है कि 31 मार्च, 2006 तक देशभर में जितने विद्यालय हैं, मदरसे हैं, स्कूल, कॉलेज, प्राइमरी विद्यालय सब में अनिवार्य रूप से पानी और पाखाना की व्यवस्था करवा दी जाए।

वह सारा खर्चा हम देंगे। इससे बच्चे पाखाने की महिमा और उसका इस्तेमाल जानकर अपने गार्जियन को जागरूक करके घर में पाखाना बनवा सकते हैं। हम 31 मार्च, 2006 से आगे जाने वाले नहीं हैं। 31 मार्च 2006 तक हमें सेनीटेशन कम्पेन को पूरा करना है। इसी तरह लैंड रिकार्ड का कम्प्यूटराइजेशन है। इससे गांव का आदमी अपने खाते की जानकारी प्राप्त कर सकता है। वह इसके तहत 10 या 15 रुपये डालकर पांच मिनट के अंदर एक कागज ले लेगा। इस संबंध में कुछ राज्य सरकारें बहुत आगे चली गयी हैं और कुछ राज्य सरकारें बहुत पीछे रह गयी हैं। लैंड रिकार्ड के कम्प्यूटराइजेशन के लिए 100 फीसदी खर्चा हम दे रहे हैं। जो लैंड रिफार्म है, सरकारी जमीन है, वैस्ट लैंड है, सरप्लस लैंड है, भूदान वाली लैंड है, उसमें हम राज्य सरकारों को बराबर हिदायत देते है। इस संबंध में हमने रेवन्यू मिनिस्टर्स और रूरल डेवलपमैंट मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस की है। मुख्य मंत्रियों का भी हमने सम्मेलन किया है तथा देश भर के प्रौजेक्ट डायरेक्टर्स की कांफ्रेंस की है। अभी पानी विभाग, सीएटीजी के मंत्रियों की भी हम कांफ्रेंस करने जा रहे हैं। यह सब करके, राज्यों को प्रेरित करने, राज्यों की सलाह-मशविरा से सभी कार्यक्रमों को लागू करने और उसे गरीब और गांव तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं।

इंदिरा आवास योजना के बारे में यहां माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया है। गरीब डेढ़ करोड़ परिवार हमारे देश में ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। वे लोग झुग्गी-झोंपड़ी में रहते हैं। उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। अभी हम 15 लाख परिवारों के लिए घर बना रहे हैं। 2000 करोड़ रुपये के बजट उपबंध में हमने पिछले साल 2500 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। इस साल साढ़े 27 सौ करोड़ रुपये की वृद्धि बजट में हुई है। हमसे कहा गया है कि इन्हें और तेजी से बनाने के लिए आप प्रस्ताव भेजिये। हमने तुरंत प्रस्ताव भेज दिये हैं कि डेढ़ करोड़ परिवार बिना घर के रह रहे हैं। 15 लाख लोगों के लिए अगर हर साल घर बनाया जाये तो इसमें 10 वॅा लगेंगे। लेकिन हर साल 10 लाख गरीब परिवारों में वृद्धि भी हो रही है। हमें लगता है कि इसमें ज्यादा वॅा बरस लगेंगे इसलिए हमने महसूस किया है कि इसे दुगुना किया जाये।

भारत निर्माण में भी कहा गया है कि 60 लाख अतिरिक्त मकान चार वॉों के अंदर हमें बनाने हैं। भारत निर्माण में तीन कार्यक्रम हुए हैं--प्रधान मंत्री रोजगार सड़क

योजना के तहत एक हजार की आबादी से ज्यादा वाले गांव को जोड़ना; दूसरा, जहां पीने के पानी की उपलब्धता नहीं है अथवा अशुद्ध पानी है, दो लाख 16 हजार हैबीटेशन्स में शुद्ध पानी का प्रबंध करना और तीसरा, गरीबों के लिए घर का इंतजाम करना लेकिन इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। श्री रामदास आठवले ने यह मांग की रही है कि आप री-सर्वे कराइये क्योंकि बहुत से लोगों का नाम गरीबी रेखा से नीचे वाली सूची में नहीं है। श्री अनंत गुढे भी मांग कर रहे थे कि घर में आग लगे तो आप उसका प्रबंध कीजिए। हमने 15 तारीख को सब राज्य सरकारों को कहा है कि जिसके घर में आग लगे और आग बुझायी भी न गयी हो, उसी समय ईंट और रेत गिरने लगे, उसे तुरंत इंदिरा आवास के तहत मकान बना दिया जाये। सभी राज्य सरकारों को हमने निर्देश दिये हैं कि सब पैसा हम देंगे। वहां से आप सूची भेज दीजिए। हम सबका रीऐम्बर्समैंट करेंगे। लेकिन हमने कहा है कि जिस गरीब के घर में आग लगती है, वह विपन्न हो जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है, तो उसे जिले की राशि से जो रिलीफ सहायता राहत मिलनी है, वह मिले। लेकिन ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से इंदिरा आवास तुरंत बना दिया जाये, उसमें देर न की जाये। यह सभी को लिखा है। अब माननीय सदस्यों को खुद मौनीटरिंग करनी है कि जहां किसी घर में आग लगती है, वहां तुरंत ईंट का घर बनना शुरू हुआ है या नहीं। यह देखना उनका काम है।

सब पैसा यहां से हम देंगे। सारी सहायता हम करेंगे। इसी तरह से ये सारी योजना, एरिया डैवलपमेंट इत्यादि की जो हैं और जो पानी का सवाल लोगों ने उठाया है, आने वाला समय पानी के लिए हाहाकार मचाने वाला समय होगा। उसके लिए वॉटर हॉर्वेस्टिंग, वॉटर शैड मैनेजेमंट, वॉटर मैनेजमेंट ड्रॉट प्रोन एरिया में हमने कहा है कि मास्टर प्लान तैयार किया जाए और इंटीग्रेटेड वेस्टलेंड डैवलपमेंट प्रोग्राम, डैजर्ट डैवलपमेंट प्रोग्राम और फिर ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम यानी आईडब्ल्यूडीपी, डीडीपी और डीपीए ये तीन डैवलपमेंट कार्यक्रम हरियाली योजना के नाम से मशहूर हैं। माननीय सदस्यों से हमारी प्रार्थना है कि उनके इलाके में जहां सूखे की संभावना है, या जहां भी सूखा होता रहता है, वहां वर्षा के पानी को कैसे रोका जाए, कैसे जल संचय किया जाए, उसकी योजना बनवाकर भेजें। सारी राशि यहां से दी जाएगी, उसका कार्यान्वयन कराया जाएगा। हमारा मेन फोकस पानी है क्योंकि पानी के बिना हाहाकर मचने की संभावना है। इसलिए अभी से ही हम लोग सजग हो जाएं और उस पर कार्यान्वयन करें। इस तरह से 14 योजनाएं ग्रामीण विकास की हैं। इसी तरह से 'अन्नपूर्णा' योजना है, गरीबों को अनाज देने और निगरानी करने का हमारा काम है। जो फटेहाल गरीब हैं, दस किलो मुफ्त में उनको अनाज मिलना है।

श्री इलियास आज़मी : किसी को मिलता भी है ? â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not disturb.

...(*Interruptions*)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : फिर समाज सुरक्षा पेंशन योजना, जो गरीब आदमी, 60 वर्ष से ऊपर है, उनको वृद्धा पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन मिलेगी जिसे गांव में बूढ़ा, बूढ़ी पेंशन लोग बोलते हैं। जो जरुरतमंद है, उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, यह हम देखेंगे। इसके बाद परिवार सुरक्षा योजना है। इसमें यदि किसी परिवार का हैड यदि किसी दुर्घटना में मर जाता है, उसको 10,000 रुपया नगद मिलने का प्रावधान है। उसकी भी निगरानी करने और इन सभी योजनाओं के निगरानी के संबंध में हमने बैठक की है। माननीय सदस्यों को हम लिखा-पढ़ी में भी सूचित करते हैं कि इस पर क्या खर्चा है। इसलिए माननीय सदस्यों से हमारी प्रार्थना है किâ€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do not disturb.

...(*Interruptions*)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अभी हमने बताया है कि बूढ़ा-बूढ़ी पेंशन योजना है। इन सभी योजनाओं की निगरानी करने के काम के लिए हमारे 40 अधिकारी हैं। एक अधिकारी के नीचे 15 जिले पड़ते हैं। हमने कहा है कि रूरल डैवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से एक जिले में कम से कम 10 गांवों का निरीक्षण हम अथवा हमारे राज्य मंत्री अथवा हमारे अधिकारी गांवों में जाएंगे और देखेंगे कि ग्रामीण विकास की योजनाएं कैसे लागू हो रही हैं। गांवों की और राज्य सरकारों की क्या समस्याएं हैं ? सभी समस्याओं के समाधान की दिशा में सहायता करने का काम केन्द्र सरकार का है और उसमें कोई भेदभाव नहीं है। हमने शपथ ली है कि राग-द्वेष से काम नहीं करेंगे। मैं न्याय करूंगा। उस शपथ को हम याद रखते हैं। किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। गरीबों का और गांवों का विकास कैसे हो, इस पर हम ध्यान देंगे। राष्ट्रपति जी और प्रधान मंत्री जी की सोच और उनके दिशानिर्देश हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के दिशानिर्देश और महात्मा गांधी जी के दर्शन पर चलकर जब हमारे गांव समृद्ध होंगे, बेकारी हटेगी, गरीबी मिटेगी तो कोई बुनियादी शक्ति हिन्दुस्तान को नम्बर एक पर होने से नहीं रोक सकती है। इस तरह से तमाम माननीय सदस्यों के सहयोग से, ये जो लोग मांग कर रहे हैं, ये सब हमसे कहेंगे कि हम योजनाओं के क्रियान्वयन से पानी पिलाकर ही दम लेंगे, पानी पिलाकर ही हम छोड़ेंगे। â€¦ (व्यवधान) सब इन्तजाम हम करेंगे। इसीलिए सभी माननीय सदस्यों से हमारी प्रार्थना है कि जो हमारा बजट हैं, इसको पारित किया जाए और गांवों-गांवों में ग्राम विकास और गांव समृद्धि की ओर प्रयास किये जाएं। गरीबी और बेकारी हटाने के खिलाफ तथा इतना ही नहीं बेरोजगारी हटाने के लिए हमने 'कपार्ट' को कहा है। 10 लाख लोगों को डिमांड के मुताबिक और गुणवत्ता वाली ट्रेनिंग दी जाए और एक करोड़ लोगों को विभाग के द्वारा गुणवत्ता वाली ट्रेनिंग दी जाए और उनको बैंक से लिंक किया जाए। बैंकों की लोगों ने शिकायत की है। फाइनेंस मिनिस्टर से हमने लिखा-पढ़ी की है। 800 बैंकों की शाखाएं हैं, एसजीएसवाई, स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना भी है जिससे स्वरोजगार होगा।

महोदय, इससे स्वरोजगार बढ़ेगा। कामगारों को ट्रेनिंग, बैंक से ऋण और उनके द्वारा उत्पादित सामान को देश-विदेश के बाजारों में बेचने का प्रबन्ध होगा। 'ग्राम श्री मेला' कपार्ट की ओर से आयोजित किया गया। 'सरस मेला' पं0 जवाहर लाल नेहरू जी के जन्मदिवस से प्रगति मैदान में आयोजित किया गया, उसमें 4.50 करोड़ रूपए की बिक्री हुई। इसी प्रकार 'बसन्त सरस मेला' जो दिल्ली हाट में आयोजित किया गया था, उसमें एक करोड़ रूपए से अधिक की बिक्री हुई। जैसा कि कृषि मंत्री जी ने कहा है कि ग्रामीण उत्पादों के लिए मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए तो हम मार्केटिंग की भी व्यवस्था कर रहे हैं। गांव के द्वारा उत्पादित सामान जब देश-विदेश के बाजारों में बिकेगा तो गांव के लोगों की आमदनी बढ़ेगी। महोदय, ये योजनाएं गरीबी-बेकारी हटाने, गांवों का विकास करने और समृद्धि लाने के लिए शुरू की जा रही हैं। माननीय सदस्यों के सहयोग के बिना इन योजनाओं को ठीक प्रकार से चला पाना संभव नहीं होगा। इसलिए माननीय सदस्यों का सहयोग और दिशानिर्देश आवश्यक है। हम इन योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहते हैं ताकि गांधी और डा. लोहिया का सपना साकार हो सके।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री इलियास आज़मी : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार द्वारा दिए हुए पैसे से उत्तर प्रदेश में विधायक लोग दो-दो सौ हैण्डपम्प लगाए जाने का प्रपोजल दे रहे हैं, लेकिन सांसदों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी आज ही सदन में यह घोषणा करें कि प्रत्येक सांसद अपने क्षेत्र में एक हजार हैण्डपम्प लगाने का प्रपोजल दे सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : आजमी जी, कृपया आप बैठ जाइए।

श्री जी. वेंकटस्वामी : महोदय, मंत्री जी के आने से इस मंत्रालय में एक नयी जान आ गयी है। एनडीए सरकार के कार्यकाल में पंचायती राज मंत्रालय की जो दुर्दशा हुई, उसे देखकर मुझे दुख होता है। यह दुख इसलिए भी होता है कि मैंने स्वयं ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में यह विधेयक संसद में लाकर पारित करवाया था। मुझे दुख होता है कि राज्यों में आज मुख्यमंत्री लोग पूरे फण्ड को दूसरे कामों में डाइवर्ट करते जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, कृपया आप बैठ जाइए।

श्री इलियास आज़मी : मंत्री जी, आपकी नीति भी ठीक है और आपकी नीयत भी ठीक है, लेकिन आपके द्वारा जारी किए जा रहे पैसों की राज्यों में अधिकारियों, दलालों और चोरों के द्वारा जो लूट की जा रही है, आप उससे आंखें क्यों बंद कर रहे हैं? इस लूट को रोकने के लिए आपकी ओर से कोई कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: A number of cut motions have been moved.

...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, nothing will go on record.

(Interruptions) â€¦*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Azmi, sit down, please.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : निगरानी करने की जिम्मेदारी आप माननीय सदस्यों की भी है। आप भी अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा कीजिए।

श्री इलियास आज़मी : इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध सांसद लोग क्या कर सकते हैं? क्या हम सीडीओ को सस्पेंड कर सकते हैं? अगर हम उसे भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ते हैं तो हमें उसे सस्पेंड करने की शक्ति दी जानी चाहिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: A number of cut motions have been moved by Members to the Demands for Grants relating to the Ministry of Rural Development. Shall I put all the cut motions to the vote of the House together or does any hon. Member want any particular cut motion to be put separately?

SEVERAL HON. MEMBERS: Sir, please put them together.

---

* Not Recorded.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put all the cut motions together to the vote of the House.

The cut motions were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the Demands for Grants relating to the Ministry of Rural Development to vote.

The question is:

> "That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the order paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2006, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 79 to 81 relating to the Ministry of Rural Development."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY SPEAKER : The House now stands adjourned till 11.00 a.m. tomorrow.

21.06 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Tuesday, April 26, 2005/Vaisakha 6, 1927 (Saka).